रजिस्टर्ड सं डी-222 REGISTERED NO D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 3, 1973/कार्तिक 12, 1895
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 3, 1973/KARTIK A12, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर, 1973

सा का नि 1181.—भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, मणिपुर तथा त्रिपुरा के संयुक्त राज्य प्राधिकरण के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम 1954 में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात —

1 (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम 1973 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के साथ संलग्न अनुसूची III में

(क) "क— राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में समय वेतन मान से अधिक वेतन मान पद" शीर्षक के अधीन सारणी में पहले कालम में उल्लिखित प्रविष्टि 'मणिपुर त्रिपुरा' तथा दूसरे तथा तीसरे कालम की तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा —

राज्य	पदों का विवरण	वेतन
मणिपुर	पुलिस महा निरीक्षक	"रु० 2250 00 प्रति मास
	पुलिस उप-महानिरीक्षक आपरेशन तथा शस्त्र पुलिस	रु० 1600-100-2000
त्रिपुरा	पुलिस महानिरीक्षक	रु० 2250 00 प्रति मास
	पुलिस उप-महानिरीक्षक (मुख्यालय)	रु० 1600-100 2000'

(ख)—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में वरिष्ठ समय वेतनमान से वेतन वाले पद, जिसमें समय वेतनमान से अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी शामिल हैं' शीर्षक के अन्तर्गत

सारणी में पहले कालम में उल्लिखित प्रविष्टि "मुणिपुर-त्रिपुरा" तथा दूसरे कालम की तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न-लिखित प्रतिस्थापित किया जायगा,अर्थात् :—

राज्य	पदो का विवरण
'मणिपुर	पुलिस महायक महानिरीक्षक
	पुलिस महायक महानिरीक्षक (आपरेशन्स)
	पुलिस अधीक्षक
	पुलिस अधीक्षक (सी० आई० डी०)
	पुलिस अधीक्षक (सतकर्ता)
	पुलिस अपर अधीक्षक
	कमांडेंट मणिपुर रायफल
	प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र
त्रिपुरा	पुलिस सहायक महानिरीक्षक
	पुलिस अधीक्षक
	पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा)
	पुलिस अधीक्षक (सतकर्ता)
	पुलिस अपर अधीक्षक (अपराध)
	कमांडेंट त्रिपुरा शस्त्र पुलिस
	प्रिंसिपल पुलिस प्रशिक्षण कालेज ।

[स० 9/8/73अ०भा० से० (ख)]

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi 19th October, 1973

G.S.R.No. 1181.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Joint Cadre Authority of Manipur and Tripura, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Sixth Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In Schedule III, appended to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954—

(a) under the heading "A –Posts carrying pay above the time-scale pay in the Indian Police Service under the State Governments", in the Table, for the entry, Manipur-Tripura, occurring in the first column and the corresponding entries in the second and the third columns, the following shall be substituted, namely :—

State	Particulars of Posts	Pay
Manipur	Inspector General of Police	Rs. 2250/-p.m.
	Deputy Inspector General of Police, Operations and Armed Police	Rs.1600-100-2000
Tripura	Inspector General of Police	Rs. 2250/-p.m.
	Deputy Inspector General of Police (Headquarters)	Rs. 1600-100-2000",

(b) Under the heading "B-Posts carrying pay in the senior time-scale of the Indian Police Service, under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay in the time-scale", in the Table,

for the entry "Manipur-Tripura" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely:—

State	Particulars of Posts
Manipur	Assistant Inspector General of Police
	Assistant Inspector General of Police (Operations)
	Superintendent of Police
	Superintendent of Police (C.I.D.)
	Superintendent of Police (Vigilance)
	Additional Superintendent of Police
	Commandants, Manipur Rifles
	Principal, Police Training Centre.
Tripura	Assistant Inspector General of Police
	Superintendents of Police
	Superintendents of Police (Special Branch)
	Superintendent of Police (Vigilance)
	Additional Superintendent of Police (Crime)
	Commandant Tripura Armed Police
	Principal Police Training College.

[No. 9/8/73-AIS II-B]

सा. का. नि. 1182.—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मणिपुर तथा त्रिपुरा के संयुक्त संवर्ग प्राधिकरण के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) नवां संशोधन विनियम, 1973 है ।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "मणिपुर-त्रिपुरा" शीर्षक तथा उससे सम्बन्धित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"मणिपुर-त्रिपुरा"

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	26
मणिपुर सरकार के अधीन पद	
पुलिस महानिरीक्षक	1
पुलिस उप-महानिरीक्षक, ऑपरेशनस तथा सशस्त्र पुलिस	1
पुलिस सहायक महानिरीक्षक	1
पुलिस सहायक महानिरीक्षक (ऑपरेशन्स)	1
पुलिस अधीक्षक	5
पुलिस अधीक्षक (सी.आई.डी.)	1
पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)	1
पुलिस अपर अधीक्षक	1
कमांडेन्ट, मणिपुर राईफिल्स	2
प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र	1

त्रिपुरा सरकार के अधीन पद

पुलिस महानिरीक्षक	1
पुलिस उप-महानिरीक्षक (मुख्यालय)	1
पुलिस सहायक महानिरीक्षक	1
पुलिस अधीक्षक	3
पुलिस अधीक्षक (विशेष ब्रांच)	1
पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)	1
पुलिस अपर अधीक्षक (अपराध)	1
कमांडेन्ट, त्रिपुरा शस्त्र पुलिस	1
प्रिंसिपल पुलिस प्रशिक्षण कालेज	1
	26
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व ऊपर 1 के 40 प्रतिशत के हिसाब से	10
3. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद ऊपर 1 और 2 के 25 प्रतिशत के हिसाब से	9
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद ऊपर 1 और 2 में से तीन घटाकर	27
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व ऊपर 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से	5
6. छुट्टी रिजर्व ऊपर 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से	1
7. कनिष्ठ पद ऊपर 4 के 20.60 प्रतिशत के हिसाब से	6
8. प्रशिक्षण रिजर्व ऊपर 4 के 10.59 प्रतिशत के हिसाब से	3
सीधी भर्ती के पद	42
पदोन्नति के पद	9
कुल प्राधिकृत संख्या	51

[सं. 9/8/73- अं. भा. से. (2) (क)]

G.S.R. 1182.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Joint Cadre Authority of Manipur and Tripura, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Ninth Amendment Regulations, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading 'Manipur-Tripura' and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"Manipur-Tripura

1. Senior Posts under the State Government	26
Posts under the Government of Manipur	
Inspector General of Police	1
Deputy Inspector General of Police, Operations and Armed Police	1
Assistant Inspector General of Police	1
Assistant Inspector General of Police (Operations)	1
Superintendents of Police	5
Superintendent of Police (C.I.D.)	1
Superintendent of Police (Vigilance)	1
Additional Superintendent of Police	1
Commandants, Manipur Rifles	2
Principal, Police Training Centre	1
Posts under the Government of Tripura	
Inspector General of Police	1
Deputy Inspector General of Police (Headquarters)	1
Assistant Inspector General of Police	1
Superintendents of Police	3
Superintendent of Police (Special Branch)	1
Superintendent of Police (Vigilance)	1
Additional Superintendent of Police (Crime)	1
Commandant, Tripura Armed Police	1
Principal, Police Training College	1
	26
2. Central Deputation Reserve @40% of 1 above	10
3. Posts to be filled by promotion under rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 @25% of 1 and 2 above	9
4. Posts to be filled by direct recruitment (1 and 2 minus 3 above)	27
5. Deputation Reserve @20% of 4 above	5
6. Leave Reserve @5% of 4 above	1
7. Junior Posts @20.60% of 4 above	6
8. Training Reserve @10.59% of 4 above	3
Direct Recruitment Posts	42
Promotion Posts	9
Total Authorised Strength	51"

[No. 9/8/73-AIS. II A]

का. आ. 1183.—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) नवां संशोधन विनियम, 1973 है।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) त्रिनिमय, 1955 की अनुसूची में "उत्तर प्रदेश" शीर्षक तथा उनके अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"उत्तर प्रदेश"

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	139
पुलिस महानिरीक्षक	1
निदेशक, नागरिक सुरक्षा-सह-कमांडिंट जनरल होम गार्ड पी. आर. डी.	1
अपर पुलिस महानिरीक्षक	1
पुलिस उप-महानिरीक्षक	14
पुलिस उप-महानिरीक्षक प्रशिक्षण तथा प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण कालेज, मुरादाबाद	1
उप-कमांडंट जनरल होम गार्ड	1
पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेलवे	1
सतर्कता निदेशक	1
पुलिस सहायक महानिरीक्षक	1
पुलिस अधीक्षक	4
पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय	1
पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर	1
पुलिस अधीक्षक, लखनऊ नगर	1
पुलिस अपर अधीक्षक	9
पुलिस अधीक्षक, खुफिया विभाग	4
पुलिस अधीक्षक केन्द्रीय खुफिया विभाग	9
पुलिस अधीक्षक, सतर्कता स्थापना	9
पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय खुफिया विभाग	9
पुलिस अधीक्षक, रेलवे	5
उप-आयुक्त, बिक्री कर (सतर्कता)	1
कमांडंट, पी. ए. सी. बटालियन	18
कमांडंट, विशेष पुलिस दल मुरादाबाद	1
उप-कमांडंट, विशेष पुलिस दल मुरादाबाद	1
कमांडंट, जनरल-होम गार्ड का स्टाफ अधिकारी	1
उप-निदेशक, सिविल डिफेंस	1
कमांडंट, भर्ती प्रशिक्षण स्कूल, मुरादाबाद	1
कमांडंट, भर्ती प्रशिक्षण स्कूल, सीतापुर	1
कमांडंट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होम गार्ड	1
अधीक्षक, ई. डी. आ. खुफिया तथा जांच विंग (सी. आई. डी.)	2
	138
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्रतिशत के हिसाब से	55
	193
3. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्रतिशत के हिसाब से	48
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त 1 और 2 में से 3 घटाकर)	145
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से	29
6. छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से	7
7. कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20.60 के हिसाब से	30
8. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10.59 के हिसाब से	15
सीधा भर्ती वाले पद	226
पदोन्नति पद	48
कुल प्रधिकृत संख्या	274

[सं. 9/7/73-अ. भा. से. (2)-(क)]

G.S.R. 1183.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2), of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Uttar Pradesh, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Tenth Amendment Regulations, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In the schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Uttar Pradesh" and the entries occuring thereunder, the following shall be substituted, namely :—

"Uttar Pradesh

1	Senior posts under the State Government	138
	Inspector General of Police	1
	Director, Civil Defence-cum-Commandant General, PRD of Home Guards	1
	Additional Inspector General of Police	1
	Deputy Inspectors General of Police	14
	Deputy Inspector General of Police Training and Principal, Police Training College, Moradabad	1
	Deputy Commandant General, Home Guards	1
	Deputy Inspector General of Police, Railways	1
	Director of Vigilance	1
	Assistant Inspector General of Police	1
	Superintendents of Police	48
	Superintendent of Police, Headquarters	1
	Superintendent of Police, Kanpur City	1
	Superintendent of Police, Lucknow City	1
	Additional Superintendents of Police	9
	Superintendents of Police, Intelligence Department	4
	Superintendents of Police, Central Intelligence Department	9
	Superintendents of Police, Vigilance Establishment	9
	Superintendent of Police, High Court, Allahabad	1
	Superintendents of Police, Railways	5
	Deputy Commissioner, Sales Tax (Vigilance)	1

Commandant, PAC Batalions	18
Commandant, Special Police Force, Moradabad	1
Deputy Commandant, Special Police Force, Moradabad	1
Staff Officer to the Commandant General Home Guards	1
Deputy Director, Civil Defence	1
Commandant Recruits' Training School, Moradabad	1
Commandant, Recruits' Training Centre Sitapur	1
Commandant, Central Training Institute, Home Guards	1
Superintendent, ECO. Intelligence and Investigation Wing (CID)	2
	138
2. Central Deputation Reserve @40% of 1 above	55
	193
3 Posts to be filled by promotion under rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 @25% of (1) and (2) above	48
4. Posts to be filled by Direct Recruitment [(1) and (2) minus (3) above]	145
5 Deputation Reserve @20% of 4 above	29
6. Leave reserve @5% of 4 above	7
7. Junior Posts @20.60% of 4 above	30
8 Training Reserve @10.59% of (4) above	15
Direct Recruitment posts	226
Promotion Posts	48
Total authorised strength	274

[No. F. 9/7/73 AIS II-(A)]

मा० का० नि० 1184 — भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाये अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 मे एतद्द्वारा निम्नलिखित सशोधन करती है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमो का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवा सशोधन नियम, 1973 है।

(2) ये सरकार राजपत्र मे इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।

2 भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के साथ सलग्न अनुसूची III मे

(क) "क' राज्य सरकारो के अधीन भारतीय पुलिस सेवा मे समय वेतन मान से अधिक वेतन वाले पद' शीर्षक के अधीन सारणी मे पहले कालम में उल्लिखित प्रविष्टि 'उत्तर प्रदेश' तथा दूसरे तथा तीसरे कालम की तत्स्थानी प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा —

राज्य	पदो का विवरण	वेतन/वेतनमान
"उत्तर प्रदेश	पुलिस महानिरीक्षक	2500-125/2-2750
	निदेशक नागरिक सुरक्षा-सह-कमाडेट जनरल हाम गार्ड	
	का पी० आर० डी०	2500-125/2-2250
	पुलिस अपर महानिरीक्षक	2000-125-2250
	पुलिस उप महानिरीक्षक	1600-100-2000
	पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशिक्षण तथा प्रिमिपल प्रशिक्षण कालेज, मुरादाबाद	1600-100-2000
	उप-कमाडेट केन्द्रीय हाम गार्ड	1600-100-2000
	पुलिस उप महानिरीक्षक,रेलवे	1600-100-2000
	सतर्कता निदेश	1600-100-2000"

(ख) 'ख-राज्य सरकारो के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान के वेतन वाले पद, जिसमे समय वेतनमान के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी शामिल है" शीर्षक के अन्तर्गत सारणी मे पहले कालम मे उल्लिखित प्रविष्टि "उत्तर प्रदेश" तथा दूसरे कालम की तत्स्थानी प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा —

राज्य	पदो का विवरण
'उत्तर प्रदेश	पुलिस सहायक महानिरीक्षक
	पुलिस अधीक्षक
	पुलिस अधीक्षक मुख्यालय
	पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर
	पुलिस अधीक्षक, कान लखनऊ नगर
	पुलिस अपर अधीक्षक
	पुलिस अधीक्षक, खुफिया विभाग
	पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय खुफिया विभाग
	पुलिस अधीक्षक, सतर्कता स्थापना
	पुलिस अधीक्षक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
	पुलिस अधीक्षक, रेलवे
	उप-आयुक्त, बिक्री कर (सतर्कता)
	कमाडेट, पी० ए० सी० बटालियन
	कमाडेट विशेष पुलिस दल, मुरादाबाद
	उप-कमाडेट, विशेष पुलिस दल, मुरादाबाद
	क हाम गार्ड कमाडेट जनरल का स्टाफ अधिकारी
	उपनिदेशक सिविल डिफेंस
	कमाडेट भर्ती प्रशिक्षण स्कूल, मुरादाबाद
	कमाडेट केन्द्रीय प्रशिक्षण सस्थान केन्द्र सीतापुर
	कमाडेट, केन्द्रीय प्रशिक्षण सस्थान, हाम गार्ड
	अधीक्षक, ई० सी० आ० खुफिया तथा सतर्कता विग (सी० आई० डी०)"

[फा० 9/7/73-ए० भा० से० (2)ख]

एस० हबी वुल्लाह, अवर सचिव

G. S. R 1184 :— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Uttar Pradesh, hereby makes the following amendments to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Seventh Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In schedule III, appended to the IPS (Pay) Rules, 1954,

(a) under the heading "A-Posts carrying pay above the time-scale of pay in the Indian Police Service under the State Government" in the Table, for the entry "Uttar Pradesh" occuring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely:—

State	Particulars of posts	Pay/scale of pay
"Uttar Pradesh.	Inspector General of Police	2500-125/2-2750
	Director, Civil Defence-cum-Commandant General, P R.D. of Home Guards	2500-125/2-2750
	Additional Inspector General of Police	2000-125-2250
	Deputy Inspectors General of Police	1600-100-2000
	Deputy Inspector General of Police, Training and Principal, Training College, Moradabad.	1600-100-2000
	Deputy Commandant General, Home Guards.	1600-100-2000
	Deputy Inspector General of Police Railways.	1600-100-2000
	Director of Vigilance	1600-100-2000"

(b) under the heading "B-Posts carrying pay in the senior-time scale of the Indian Police Service under the State Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time-scale", in the Table, for the entry "Uttar Pradesh" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely:—

State	Particulars of Posts
"Uttar Pradesh	Assistant Inspector General of Police.
	Superintendents of Police
	Superintendent of Police, Headquarters.
	Superintendent of Police, Kanpur City.
	Superintendent of Police, Lucknow City.
	Additional Superintendents of Police
	Superintendent of Police, Intelligence Department.
	Superintendents of Police, Central Intelligence Deptt.
	Superintendents of Police Vigilance Establishment.
	Superintendent of Police, High Court, Allahabad
	Superintendent of Police, Railways.
	Dy. Commissioner, Sales Tax (Vigilance)
	Commandant, PAC Battalions.
	Commandant, Special Police Force, Moradabad.
	Dy. Commandant, Special Police Force, Moradabad.
	Staff Officers to the Commandant General, Home Guards
	Deputy Director, Civil Defence.
	Commandant, Recruits' Training School, Moradabad.
	Commandant, Recruits' Training Centre, Sitapur.
	Commandant, Central Training Institute, Home Guards.
	Superintendent, ECO Intelligence and Investigation Wing (CID)".

[No. 9/7/73-AIB. II (B)]

S. HABEEBULLAH, Under Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1973

सा. का. नि. 1185.—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10 ङ. की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 637 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 443(ई), तारीख 18 अक्तूबर, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित टिप्पण अन्त में जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण.—निर्देश की सुलभता के प्रयोजन के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10 ङ की उपधारा (6) नीचे उद्धृत है :

"(6) कम्पनी विधि बोर्ड अपनी शक्तियों के प्रयोग में तथा कृत्यों के निर्वहन में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहेगा ।"

[फा. सं. 2/11/73-सी एल-5]

आर. के. तलवार, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

Department of Company Affairs

New Delhi, the 17th October, 1973

G.S.R. 1185.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 637, read with sub-section (1) of Section 10E, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Company Affairs No. G.S.R. 443(E), dated the 18th October, 1972, namely :—

In the said notification, the following note shall be added at the end, namely :—

"**Note.**—for the purpose of ready reference, sub-section (6) of Section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) is re-produced below :

"(6) In the exercise of its powers and discharge of its functions, the Company Law Board shall be subject to the control of the Central Government."

[F. No. 2/11/73-CL-V.]

R. K. TALWAR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1973

शुद्धि-पत्र

सा. का. नि. 1186.—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 15 मई, 1973 की अधिसूचना सं. सा. का. नि 603 के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाय, अर्थात् :—

"**छूट देने की शक्ति.**—जिस मामले में केन्द्रीय सरकार यह विचार हो कि इन नियमों के किसी उपबन्ध में किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के सम्बन्ध में छूट देना आवश्यक अथवा इष्टकर है तो वह कारणों का लिखित रूप से उल्लेख करके संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश जारी करके छूट दे सकती है ।"

[सं. ए. 21015/1/72/प्र.-2]

ओ. पी. कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 16th October, 1973.

CORRIGENDUM

G.S.R. 1186.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. G.S.R. 603, dated the 15th May, 1973, **for** rule 6, **read** the following, namely :—

"6. **POWER TO RELAX.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons."

[No. A. 21015/1/72-Adm. II.]

O. P. KOHLI, Under Secy

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1973

सा. का. नि. 1187.—संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक निम्नलिखित नियम बनाया है, अर्थात् :—

4.50,00,000 नीदरलैण्ड गिल्डरों के ऋण के लिए हैंग, नीदरलैण्ड में स्थित नीदरलैण्ड के विकासशील देशों से सम्बन्धित निवेश बैंक (द नीदरलैण्ड्स इन्वेस्टरिंग्स बैंक फूर आंटविकलिंगसलैण्डन एन. वो.) (द नीदरलैण्ड इन्वेस्टमेंट बैंक फार डवलपिंग कंट्रीज) के साथ 22 अगस्त, 1973 को हुए ऋण करार के 22 अगस्त, 1973 के अनुपूरक करार के निष्पादन के सम्बन्ध में भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए निष्पादित किये जाने वाले सभी प्रलेख, राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित किये जाएंगे :—

(1) भारत सरकार के संयुक्त सचिव, निदेशक, उप-सचिव या अवर सचिव तथा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के उपनिदेशक ।

(2) नीदरलैण्ड में भारत के राजदूत अथवा कार्यदूत अथवा नीदरलैण्ड में भारत के राजदूतावास के प्रथम सचिव ।

(3) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के सहायता लेखा नियन्त्रक तथा वरिष्ठ लेखा अधिकारी ।

(4) लंदन-स्थित भारतीय उच्चायोग के मुख्य लेखा अधिकारी/सहायक मुख्य लेखा अधिकारी ।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम से

[एफ. सं. 14(23)-डब्ल्यू. ई. 3/73]

New Delhi, the 24th October, 1973

G.S.R. 1187.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 77, read with clause (i) of Article 299 of the Constitution, the President is pleased to make the following rule, namely :—

All documents necessary to be executed in exercise of the executive power of the Union in connection with the performance of the Addendum dated the 22nd August, 1973 to the Loan Agreement dated the 22nd August, 1973 with De Netherlands Investing bank voor Ontwikkelingslanden N. V. (The Netherlands Investment Bank for Developing Countries) established at the Hague, Netherlands for a credit of Netherlands Guilders 4,50,00,000 shall be executed and authenticated on behalf of the President by any of the officers specified below :

(i) Joint Secretary, Director, Deputy Secretary or Under Secretary to the Government of India and Deputy Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs.

(ii) Controller of Asid Accounts and Senior Accountants Netherlands or the Frsit Secretary to the Embassy of India in the Netherlands.

(iii) Controller of Aid Accounts and Senior Accounts Officer in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs.

(iv) Chief Accounting Officer/Assistant Chief Accounting Officer, High Commission of India in London.

By Order and in the name of President of India

[F. No. 14(23)WE. III/73]

सा. का. नि. 1188.—संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक निम्नलिखित नियम बनाया है, अर्थात् :—

9 अक्टूबर, 1973 को स्विस संघ के साथ किये गये 3.5 करोड़ स्विस फ्रैंक के विकास ऋण और 5.5 करोड़ स्विस फ्रैंक के अन्तरण ऋण के ऋण करारों के निष्पादन के सम्बन्ध में भारत संघ की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति की ओर से निष्पादित किये जाने वाले सभी आवश्यक प्रलेखों को निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवम् प्रमाणित किया जायगा :—

(1) भारत सरकार के संयुक्त सचिव, निदेशक, उपसचिव या अवर सचिव तथा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के उपनिदेशक ।

(2) स्विट्जरलैण्ड स्थित भारत के राजदूत या कार्यकारी राजदूत या स्विट्जरलैण्ड में भारतीय राजदूतावास के प्रथम सचिव ।

(3) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के सहायता लेखा नियंत्रक तथा वरिष्ठ लेखा अधिकारी ।

(4) लन्दन-स्थित भारतीय उच्चायोग के मुख्य लेखा अधिकारी/सहायक मुख्य लेखा अधिकारी ।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम से

[एफ. सं. 9(4)-डब्लू. ई 3/73]

वा. श्री. तांबे, निदेशक

G.S.R. 1188.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 77, read with clause (i) of Article 299 of the Constitution, the President is pleased to make the following rule, namely :—

All documents necessary to be executed in exercise of the executive power of the Union in connection with the performance of the Loan Agreements dated the 9th Oct., 73 with the Government of the Swiss Confederation on a Development Loan of 35 million Swiss Francs and transfer Credit of 55 million Swiss Francs shall be executed and authenticated on behalf of the President by any of the officers specified below :—

(i) Joint Secretary, Director, Deputy Secretary or Under Secretary to the Government of India and Deputy Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs.

(ii) Ambassador or Charge d' Affairs of India in Switzerland or the First Secretary to the Embassy of India in Switzerland.

(iii) Controller of Aid Accounts and Senior Accounts Officer in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs.

(iv) Chief Accounting Officer/Assistant Chief Accounting Officer, High Commission of India in London.

By Order and in the name of President of India
[F. No. 9(4)WE. III/73]
W. S. TAMBE, Director

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1973

सा. का. नि. 1189.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद् द्वारा आपात् जोखिम बीमा योजना निदेशालय (श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 पद) भर्ती नियमावली 1970 में अतिरिक्त संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों को आपात् जोखिम बीमा योजना निदेशालय (श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 पद) भर्ती संशोधन नियम 1973 कहा जायेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. आपात् जोखिम बीमा योजना निदेशालय (श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 पद) भर्ती नियमावली 1970 की अनुसूची के स्तम्भ (6) में :

(क) क्रम सं. 3 "आशुलिपिक ग्रेड-1" में प्रविष्टि "19—23 वर्ष" के स्थान पर प्रविष्टि "19—25 वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(ख) क्रम सं. 5 "निम्न श्रेणी लिपिक" में प्रविष्टि "18—21 वर्ष" के स्थान पर प्रविष्टि "18—25 वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी ।

[सं. 19 फा. 32/17/73-प्रशा.-1(ए)]

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 20th October, 1973

G.S.R. 1189.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules further to amend the Directorate of Emergency Risks Insurance Schemes (Class III & Class IV posts) Recruitment Rules, 1970, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Directorate of Emergency Risks Insurance Schemes (Class III & Class IV posts) Recruitment Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Emergency Risks Insurance Schemes (Class III & Class IV posts) Recruitment Rules, 1970, in column (6)—

(a) in serial No. 3 "Stenographer Grade I", for the entry "19—23 years", the entry "19—25 years" shall be substituted ;

(b) in serial No. 5 "Lower Division Clerk", for the entry "18—21 years", the entry "18—25 years" shall be substituted.

[No 19 F. No. 32/17/73-Ad. IA.]

सा. का. नि. 1190.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा आपात् जोखिम बीमा योजना निदेशालय (आशुलिपिक ग्रेड-2) की भर्ती नियमावली 1971 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों को आपत् जोखिम योजना निदेशालय (आशुलिपिक ग्रेड 2) भर्ती संशोधन नियम 1973 कहा जायेगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. आपात् जोखिम बीमा योजना निदेशालय (आशुलिपिक ग्रेड-2) भरती नियम 1971 की अनुसूची के स्तम्भ 6 में प्रविष्टि "18—24 वर्ष" के स्थान पर प्रविष्टि "18—25" वर्ष प्रतिस्थापित की जायेगी ।

[सं. 20 फा. सं. 32/17/73-प्रशा-1]
के. आर. नरसिंहन, अवर सचिव

G.S.R. 1190.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules to amend the Directorate of Emergency Risks Insurance Schemes (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 1971, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Directorate of Emergency Risks Insurance Schemes (Stenographer Grade II) Recruitment Amendment Rules, 1973.

2. In the Schedule to the Directorate of Emergency Risks lication in the Official Gazette.

2 In the Schedule to the Directorate of Emergency Risks Insurance Schemes (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 1971, in column 6, for the entry "18—24 years", the entry "18—25 years" shall be substituted.

[No. 20 F. No. 32/17/73-Ad. IA]
K. R. NARASIMHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1973

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 1191.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 174क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित उत्पाद शुल्क योग्य माल को उक्त नियम के नियम 174 के प्रवर्तन से छूट देती है, अर्थात् :—

(1) लाइ-चीनी (पामायर शुगर) ।

(2) वासित-जल, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है ।

(3) शक्ति की सहायता के बिना विनिर्मित वासित-जल

(4) वनस्पति नाम एसेन्शियल तेल (अरोमाधित) ।

(5) जरी उद्योग में प्रयुक्त और शुल्क संदत्त या शुल्क से छूट प्राप्त नाइट्रोसेलूलोस लेकर से तैयार किया गया गिल्डिंग धोल ।

(6) शुल्क संदत्त उर्वरकों से शक्ति की सहायता के बिना तैयार किए गए मिश्रित या सम्मिश्र उर्वरक ।

(7) पूर्णतया छूट प्राप्त उर्वरकों की किस्में ।

(8) शक्ति या तापन-वाष्प की सहायता के बिना उत्पादित साबुन ।

(9) साइकिलों के टायर और ट्यूब ।

(10) अप्रसंस्कृत आर्ट सिलक कपड़े ।

(11) चांदी ।

(12) पूर्णतया छूट प्राप्त घरेलू विद्युत साधित्र

(13) पूर्णतया छूट प्राप्त कार्यालय-मशीनें और साधित्र ।

(14) मोटर साइकिलों से भिन्न साइकिलों के पुर्जे ।

(15) पूर्णतया छूट प्राप्त जूते और उनके अवयव ।

(16) यंत्र-चलित ग्रामोफोन और उनके पुर्जे ।

(17) सेफ (तिजोरी), स्ट्राग बाक्स, कैश बाक्स, डीड बाक्स और तत्समान बाक्स (किन्तु जिसमें स्टांग रूम लाइनिंग और स्ट्राग रूम दरवाजा सम्मिलित नहीं हैं) विनिर्मित करने वाले बिना शक्ति प्रचालित यूनिट ।

(18) धातु आधान विनिर्मित करने वाले बिना शक्ति प्रचालित यूनिट ।

[सं. 191/73-के. उ. शु.-फा. सं. 213/1/73-सी. एक्स-6]

एस. के. धर, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd November, 1973

CENTRAL EXCISE

G.S.R. 1191.—In exercise of the powers conferred by rule 174A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts, from the operation of rule 174 of the said rules, the following excisable goods, namely :—

(1) Palmyra Sugar.

(2) Aerated waters having no brand name.

(3) Aerated waters manufactured without the aid of power.

(4) Vegetable Non-Essential Oils (Unprocessed).

(5) Gilding solution used in Jari industry and made out of duty paid or exempted nitrocellulose lacquer.

(6) Composite or complex fertilizers prepared from duty paid fertilizers without the aid of power.

(7) Fully exempted varieties of fertilizers.

(8) Soap produced without the aid of power or of steam for heating.

(9) Tyres and Tubes for Cycles.

(10) Unprocessed art silk fabrics.

(11) Silver.

(12) Fully exempted domestic electric appliances.

(13) Fully exempted office machines and apparatus.

(14) Parts of cycles other than motor cycles.

(15) Fully exempted footwear and parts thereof.

(16) Mechanically driven gramophones and parts thereof.

(17) Non-power operated units manufacturing safes, strong boxes, cash boxes, deed boxes and the like (but not including strong room linings and strong room door).

(18) Non-power operated units manufacturing metal containers.

[No. 191/73-C.E.—F. No. 213/1/73-CX.6]

S. K. DHAR, Under Secy.

गृह मंत्रालय

(कार्यालय, भारत के महापंजीकार)

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1973

सा. का. नि. 1192.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत के महापंजीकार एवं पदेन भारत के जनगणना आयुक्त के कार्यालय में श्रेणी 3 के पदों की भर्ती का विनियमन करने वाले नियम, 1970 में निम्नलिखित संशोधन एतद् द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—इन नियमों का नाम भारत के महापंजीकार एवं पदेन भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यालय (श्रेणी 3 के पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 है ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत के महापंजीकार एवं पदेन भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यालय (श्रेणी 3 के पद) भर्ती नियम, 1970 के अनुसूची में,

(1) क्रम संख्या 1 में सांख्यिकी सहायक के पद के सामने कालम 2 में प्रविष्टि के लिए "7" प्रविष्टि पढ़ा जाय ।

(2) क्रम संख्या 2 में कम्प्यूटर के पद के सामने कालम 2 में प्रविष्टि के लिए "112" प्रविष्टि पढ़ा जाय ।

[सं. 3/9/72-आर. जी. (ए. डी. 1)]

ए. चन्द्रशेखर, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव

पदेन भारत के महापंजीकार

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 19th October, 1973

G.S.R. 1192.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Registrar General, India and **ex-officio** Census Commissioner for India (Class III posts) Recruitment Rules, 1970 namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and **ex-officio** Census Commissioner for India (Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Office of the Registrar General, India and **ex-officio** Census Commissioner for India (Class III posts) Recruitment Rules, 1970,

(1) against the post of Statistical Assistant at serial number 1, for the entry in column 2, the entry "71" shall be substituted ;

(2) against the post of Computor at serial number 2, for the entry in column 2, the entry "112" shall be substituted.

[No. 3/9/72-RG (Ad. I)]

A. CHANDRA SEKHAR, Addl. Secy.
in the Ministry of Home Affairs & ex-officio Registrar General, India.

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1973

सा. का. नि. 1193.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह संघ-शासित क्षेत्र के प्रशासन में रोजगार अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह (रोजगार अधिकारी) भर्ती नियम, 1973 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मान.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और पद का वेतन-मान वही होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वही होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है ।

4. **अनर्हताएं.**—कोई भी ऐसा व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **अपवाद.**—इन नियमों की किसी बात का, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों और अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

अंडमान और निकोबार प्रशासन में रोजगार अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मान	प्रवरण पद है या अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए शैक्षिक व अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
रोजगार अधिकारी	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II राजपत्रित, गैर-लिपिकवर्गीय	रु० 350-20-450-25-575	लागू नहीं होता है	30 वर्ष—सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट दी जा सकती है ।	**अनिवार्य :** (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकीय उपाधि या समकक्ष अर्हता । (2) औद्योगिक या कार्मिक व्यवस्थापन, श्रम कल्याण या कार्यालय-प्रशासन में लगभग दो वर्ष का अनुभव (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है) । **वांछनीय :** रोजगार कार्यालय में कार्य करने का अनुभव

क्या सीधी भर्ती वालो के लिए निर्धारित आयु व शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत वाले व्यक्तियो पर भी लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, अर्थात् क्या भर्ती सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा की जायगी, और विभिन्न पद्धतियो से भरी जाने वाली रिक्तियो का प्रतिशत।	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की जानी हो तो किन ग्रेडो से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसका गठन क्या है	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियो मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
8	9	10	11	12	13
लागू नही होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारो के अधीन समकक्ष पदो, या ० 210—425 के वेतन-मान वाले पदो पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा वाले अधिकारी जो कि स्तम्भ 7 मे सीधी भर्ती वालो के लिए विनिर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव रखते हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत. 3 वर्ष से अधिक नही होगी)	लागू नही होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित।

[संख्या 4/34/72-ए एन एस]
के. के. गुप्ता, उप सचिव

New Delhi, the 20th October, 1973

G.S.R. 1193.—In exercise of the powers conferred by the to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Employment Officer in the Administration of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, namely :—

1. Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the Andaman and Nicobar Islands (Employment Officer) Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and scale of pay.—The number of the post, its classification, and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into, or contracted, a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accorpance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Employment Officer in Andaman and Nicobar Administration

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Employment Officer	1	General Central Service Class II Gazetted Non-Ministerial	Rs 350-20-450-25-575	Not applicable	30 years—Relaxable for Govt. servants	**Essential:** (i) Degree of a recognised University or equivalent (ii) About 2 years experience in industrial or personnel management, Labour Welfare or Office Administration (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). **Desirable:** Experience of working in Employment Exchange.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By transfer on deputations failing which direct re-recruitment	**Transfer on deputation** Officers holding analogous posts or with at least 5 years service in posts in the scale of Rs.210-425 under the Central Government or State Governments and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years)	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulation, 1958

[No. 4/34/72-ANL]
K. K. GUPTA Dy. Secy.

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1973

सा. का. नि. 1194.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, अपराध विज्ञान और न्याय सम्बन्धी विज्ञान संस्थान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपराध विज्ञान और न्याय सम्बन्धी विज्ञान संस्थान (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती, नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें** :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं** :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
प्रशासनिक अधिकारी	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग-2 राजपत्रित।	350-25-500-30-590-द०रो०-30-800-द०रो०-830-35-900 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति / भर्ती लीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियो जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है तो उनकी सरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
10	11	12	13
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के सदृश पर धारण करने वाले या 210-530 रु० के वेतनमान के पदो मे कम से कम 8 वर्ष की सेवा वाले अधिकारी और जिन्हे प्रशासन, गृह प्रबन्ध और बजट कार्य मे अनुभव हो । **टिप्पण** . प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यता तीन वर्ष से अधिक नही होगी ।	लागू नही होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित

सं० 4/1/73-आई सी एफ (कार्मिक)
पी०के० जी० काइमल अवर सचिव

New Delhi, 22nd October, 1973

G.S.R. 1194.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the Institute of Criminology and Forensic Science, Ministry of Home Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Institute of Criminology and Forensic Science (Administrative Officer) Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. **Methods of recruitment, age limit, qualifications and other matters.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post conected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.

4. **Disqualifications** :—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government, may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writting and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** :—Nothing in these rules shall effect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational & other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Administrative Officer.	1	General Central Service, Class II, Gazetted	Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-35-900	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	**Transfer on deputation:** Officers of the Central Government holding analogous posts or with atleast 8 years service in posts in the scale of Rs. 210-530 and having experience in administration, house keeping and budget work. Note:—Period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years.	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. 4/1/73-ICFS (Pers-I)]
P. K. G. KAIMAL, Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1973

सा. का. नि. 1195.—खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार खनिज रियायत नियम, 1960 में और आगे संशोधन कराने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

(1) ये नियम खनिज रियायत (छटा संशोधन) नियम, 1973 कहलाएगें ।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में, नियम 54 के उपनियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) जहां उप नियम (1) के अन्तर्गत शुल्क जमा कर दिया गया हो, परन्तु पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार को आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर सम्बद्ध व्यक्ति को शुल्क लौटा दिया जाएगा ।"

[संख्या 1(11)/73-खान-6]

MINISTRY OF STEEL AND MINES
(Department of Mines)

New Delhi, the 17th October, 1973

G.S.R. 1195.—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulations and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely,—

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (sixth Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, in rule 54, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely,—

"(1A) Where the fee under sub-rule (1) has been deposited, but no application for revision has been made, the fee shall be refunded to the person concerned on an application being made by him in this behalf to the Central Government."

[File No. 1(11)/73-MVI]

सा०का०नि० 1196—खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 16 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार खनन पट्टा (निबंधनों का उपान्तरण) नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम खनन पट्टा (निबन्धनों का उपान्तरण) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1973 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खनन पट्टा (निबंधनों का उपान्तरण) नियम, 1956 में,—

(क) नियम 2 में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) 'विद्यमान खनन पट्टा' से खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1972 के प्रारंभ से पूर्व अनुदत्त और ऐसे प्रारम्भ के समय विद्यमान खनन पट्टा अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित की बाबत कोई पट्टा नहीं आता है :—

(i) प्राकृतिक गैस;

(ii) पैट्रोलियम;

(iii) कोयला; या

(iv) इस अधिनियम की धारा 3 खण्ड (ङ) के पर्व के अन्तर्गत कोई गौण खनिज, " ;

(ख) नियम 6 में,—

(i) उपनियम (9-क) लुप्त कर दिया जाएगा;

(ii) उपनियम (14) लुप्त कर दिया जायेगा;

(ग) अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

"अनुसूची"

(देखें नियम 5)

प्रत्येक पट्टे या उप-पट्टे की बाबत प्रयोग किये जाने के लिए

1. पट्टेदार या उप पट्टेदार का नाम ।
2. पता
3. प्रास्थिति (क्या व्यष्टि या कम्पनी या निगम या भागीदारी फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या सरकारी सोसाइटी है) ।
4. तारीख जिसको पट्टा या उप पट्टा अनुदत्त किया गया था ।
5. पट्टे पर दिये गये क्षेत्र की अवस्थिति (गांव, जिला, राज्य का नाम) ।
6. खनिज जिनके बारे में पट्टा या उप-पट्टा अनुदत्त किया गया है ।
7. क्षेत्र जिसके बारे में पट्टा या उप-पट्टा अनुदत्त किया गया है ।
8. पट्टे या उप-पट्टे की अवधि ।
9. पट्टे या उप-पट्टे के रजिस्ट्रीकरण का स्थान ।
10. यदि पट्टेदार/उप-पट्टेदार, ऐसे खनिज जिससे यह पट्टा संबंधित है या सहकारी खनिज के विहित समूह के बारे में ऐसे राज्य (जिस में यह पट्टा अवस्थित है) में अपने नाम में अन्य पट्टे धारण करता है (कृपया खनिज रियायत नियम, 1960 का नियम 69 देखें) और कृपया उसकी विशिष्टियां दी जाए ।

क्रम सं०	पट्टे पर दिये गये क्षेत्र की अवस्थिति (गांव, जिला)	खनिज जिनके बारे में पट्टा उप पट्टा अनुदत्त किया गया है	क्षेत्र जिसके बारे में पट्टा/ उप-पट्टा अनुदत्त किया गया है	पट्टे/उप-पट्टे के अनुदत्त किये जाने की तारीख

11. यदि पट्टेदार/उप-पट्टेदार कोई व्यष्टि हो और यदि वह किसी कम्पनी/निगम में शेयरधारक या किसी भागीदारी फर्म में भागीदार या किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का सदस्य हो तो उसे किसी राज्य में कम्पनी/निगम या भागीदार फर्म या सहकारी सोसाइटी या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा धारित पट्टे के बारे में और खनिज या सहकारी खनिज के विहित समूह के बारे में जिससे यह विवरणी संबंधित है, निम्नलिखित विशिष्टियां और कम्पनी/निगम या भागीदार फर्म या सहकारी सोसाइटी या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब में अपने शेयर की प्रतिशता देनी चाहिए।

क्रम सं०	कम्पनी/निगम, भागीदार फर्म सहकारी सोसाइटी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का नाम और पता।	कम्पनी, निगम, भागीदार फर्म, सहकारी सोसाइटी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा धारित पट्टे की अवस्थिति (गांव, जिला)	खनिज जिसके बारे में पट्टा/उप-पट्टा अनुदत्त किया गया है।	क्षेत्र जिसके बारे में पट्टा/उपपट्टा अनुदत्त किया गया है।	पट्टे उप-पट्टे के अनुदत्त किए जाने की तारीख	कम्पनी निगम, भागीदार फर्म, सहकारी सोसाइटी, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब में अपने शेयर की प्रतिशतता

12 कृपया पट्टाधृति, पहले खुदवाए गए क्षेत्र और अब खुदवाए जा रहे क्षेत्र को दर्शित करने वाली प्लान संलग्न करें।

मैं घोषणा करता हूं कि इस विवरणी में उपरोक्त विवरणों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है, और इस विवरणी के साथ संलग्न की गई पट्टे या उप-पट्टे की प्रति सही प्रति है।

पट्टेदार/उप-पट्टेदार के हस्ताक्षर

[फा०सं० 1(1)/73-एम-6]
वीरेन्द्र कुमार टूरे, उप-सचिव

G.S.R. 1196.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 16 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mining Leases (Modification of Terms) Rules, 1956, namely,—

1. (1) These rules may be called the Mining Leases (Modification of Terms) (Second Amendment) Rules, 1973

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Mining Leases (Modificotion of Terms) Rules, 1956,—

(a) in rule 2, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely,—

"(c) 'existing mining lease' means a mining lease granted before the commencement of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Act, 1972 and subsisting at such commencement, but does not included any such lease in respect of—

(i) natural gas;

(ii) petroleum;

(iii) coal; or

(iv) any minor mineral within the meaning of clause (e) of section 3 of the Act;"

(b) in rule 6,—

(i) sub-rule (9-A) shall be omitted;

(ii) sub-rule (14) shall be omitted

(c) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely,—

SCHEDULE

(See rule 5)

To be used in respect of each lease or sub-lease

1. Name of lessee or sub-lessee
2. Address.
3. Status (whether individual or company or corporation or partnership firm or Hindu undivided Family or Co-operative Society).
4. Date on which the lease or sub-lease was granted.
5. Location of the area leased (Name of the Village, district, State).
6. Minerals for which the lease or sub- lease has been granted.
7. Area for which the lease or sub-lease has been granted.
8. Period of the lease or sub-lease.
9. Place of registration of the lease or sub-lease.
10. If the lessee/sub-lessee holds in his name other leases in the State (in which this lease is located) for the mineral to which this lease relates or prescribed group associated minerals (please refer to rule 69 of the Mineral Concession Rules, 1960), the particulars of the same may please be given.

Sl. No.	Location of the area leased (Village, Distt.)	Mineral for which the lease/sub-lease has been granted	Area for which the lease/sub-lease has been granted	Date of grant of lease/ sub-lease

11. If the lessee/sub-lessee is an **individual** and if he/she is a shareholder in a company/corporation or partner in a partnership firm or a member of a Cooperative Society or a member of a Hindu undivided family, he/she should give the under-mentioned particulars of the leases held by the Company/Corporation or partnership firm or Cooperative Society or Hindu undivided family in the State and for the mineral or prescribed group of associated minerals, to which this return relates, alongwith the percentage of his/her share in the Company/Corporation or partnership firm or Cooperative Society or Hindu undivided family.

S.No.	Name and address of the company Corporation, partnership firm, Co-operative Society, Hindu undivided family	Location of the leases held by the company, corporation partnership firm, cooperative society Hindu undivided family (Village, Distt.)	Minerals for which the lease/sub-lease has been granted	Area for which the lease/sub-lease has been granted	Date of grant of lease/ sub-lease	Percentage of your share in the company, corporation, partnership firm, cooperative society, Hindu un-divided family

12. Please enclose a plan showing the lease-hold, the area worked in the past and the area now being worked.

I declare that to the best of my knowledge and belief the information given in the above statements in this return is correct and complete, and that the copy of the lease or sub-lease enclosed with this return is a true copy.

Signature of the Lessee/Sub-lessee

File No. 1(1)/73-MVI]
V. K. HARURAY Dy. Sec.

औद्योगिक विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1973

सा. का. नि. 1197.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय एटलस संगठन (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय एटलस संगठन (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय एटलस संगठन (वर्ग 1 और वर्ग 2) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में "उप निदेशक" के पद से संबंधित प्रविष्टियों में, स्तंभ 2 और 10 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

2	10
4.	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।"

[सं. 1-53/72-सर्वेक्षण-2]
एन. ए. वेंकटेश्वरन, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science & Technology)

New Delhi, the 18th October, 1973

G.S.R. 1197.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Atlas Organisation (Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Atlas Organisation (Class I and Class II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Atlas Organisation (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1963, in the entries relating to the post of "Deputy Director", for the existing entries in columns 2 and 10, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

	10
4	50 per cent by promotion failing which by direct recruitment and 50 per cent by direct recruitment."

[No. 1-53/72-Sur. 2]
N. A. VENKATESWARAN, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1973

सा. का. नि. 1198.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-प्रबंधक (उपापन), दिल्ली दुग्ध स्कीम के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम दिल्ली दुग्ध स्कीम उप-प्रबंधक (उपापन), भर्ती नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इस उपाबद्ध अनुसूची के सतम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

परन्तु इस अनुसूची के स्तंभ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए साधारण आदेशों के अनुसार, किसी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्गों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

दिल्ली दुग्ध स्कीम, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) में उप-प्रबन्धक (उपापन) के लिये भर्ती नियम।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हतायें
1	2	3	4	5	6	7
उप-प्रबन्धक (उपापन)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 (राजपत्रित)	700-40-1100-50/2 1250 रु०	चयन	40 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिये शिथिलनीय)	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डेरी (दुग्धशाला) विज्ञान में एम० एस० सी० या समतुल्य। (ii) ग्रामीण डेरी (दुग्धशाला) विस्तारण, दुग्ध उत्पादक सहकारिता संगठन और अधिक मात्रा में दुग्ध संग्रहण सम्बन्धी प्रबंध में और या अवशीतन केन्द्रों में पर्यवेक्षीय हैसियत में लगभग 7 वर्ष का अनुभव। (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हतायें आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी।) **वांछनीय :** डेरी (दुग्धशाला) प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नतो की दशा में लागू होंगी या नही	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा।
8	9	10	11	12	13
नही	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति** तकनीकी अधीक्षक जिसकी श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा हो।	वर्ग -1 विभागीय प्रोन्नति समिति	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 द्वारा यथा अपेक्षित।

[सं 1-30/72 ई० ई० 2]

पी० उ० थामस, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 19th October 1973,

G.S.R. 1198.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Manager (Procurement), Delhi Milk Scheme, namely :—

1. **Short title and commencement.** —(1) These rules may be called the Delhi Milk Scheme Deputy Manager (Procurement) Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

Provided that the maximum age limit specified in column 6 of the Schedule may be relaxed in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with general orders of the Government of India issued from time to time.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Post of Deputy Manager (Procurement) in the Delhi Milk Scheme Ministry of Agriculture (Department of Agriculture)

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non selection post	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Dy. Manager (Procurement)	1	General Central Service Class I (Gazetted)	Rs.700-40-1100-50/2-1250	Selection	40 years (relaxable for Government Servants.)	**Essential :** (i) M.Sc. in Dairy Science of a recognised University or equivalent. (ii) About 7 years experience in a Supervisory capacity in rural dairy extension, organisation of milk producers cooperatives and management of large milk collection and/or chilling centres. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified) **Desirable:** Post Graduate Degree in Dairy Technology.

Whether age & educational qualifications prescribed for direct rectts will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion** Technical Superintendent with 5 years service in the grade.	Class-I Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission. (Exemption from consultation) Regulations, 1958.

[No. 1-30/72-E E-II]

P. U. THOMAS Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1973

सा. का. नि. 1199.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विपणन और निरीक्षण निदेशालय (वर्ग 3 अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम विपणन और निरीक्षण निदेशालय (वर्ग 3 अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विपणन और निरीक्षण निदेशालय (वर्ग 3 अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1969 में, नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।"

[सं. 16-14/73-वा. स्था. 3]

New Delhi, 18th October, 1973

G.S.R. 1199.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Marketing and Inspection (Class III Non-gazetted Posts) Recruitment Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Marketing and Inspection (Class III Non-gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Marketing and Inspection (Class III Non-gazetted Posts) Recruitment Rules, 1969, after rule 6, the following rule shall be inserted namely :—

"**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard".

[No. F. 16-14/73-EE-III]

सा. का. नि. 1200.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विपणन और निरीक्षण निदेशालय (वर्ग 4 अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1969 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम, विपणन और निरीक्षण निदेशालय (वर्ग 4 अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विपणन और निरीक्षण निदेशालय (वर्ग 4 अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1969 में,

(1) नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

(2) अनुसूची में—

(1) मद 1 के सामने स्तंभ 4 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"75-1-85-ई. बी.-2-95 रु.",

(2) मद 2 के सामने स्तंभ 4 में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"75-1-85-ई. बी.-2-95 रु.",

(3) मद 3 के सामने—

(क) स्तंभ 4 में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"75-1-85-ई. बी.-2-95 रु.",

(ख) स्तंभ 6 में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"18-25 वर्ष"।

[सं. 16-14/73-वा. स्था. 3]

G.S.R. 1200.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Contitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Marketing and Inspection (Class IV Non-gazetted Posts) Recruitment Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Marketing and Inspection (Class IV non-gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Marketing and Inspection (Class IV Non-gazetted posts) Recruitment Rules, 1969 :—

(i) after rule 6, the following rule shall be inserted, namely :—

"7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for Scheduled Castes/Schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard";

(2) in the Schedule :—

(i) against item I, in column 4, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 75-1-85-EB-2-95";

(ii) against item 2 in column 4, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 75-1-85-EB-2-95".

(iii) against item 3—

(a) in column 4, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 75-1-85-EB-2-95";

(b) in column 6, for the entry, the following entry shall be substituted, nemely :—

"18—25 years".

[No. F. 16-14/73-EE-III]

सा. का. नि. 1201.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम सुपारी और मसाला विकास निदेशालय (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सुपारी और मसाला विकास निदेशालय (वर्ग 3 और वर्ग 4) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में :—

(1) क्रम सं. 7 पर आशुलिपिक श्रेणी 1 का पद और उससे संबंधित प्रविष्टियां लुप्त कर दी जाएंगी और क्रम सं. 8 से 16 को क्रमशः क्रम सं. 7 से 15 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ,

(2) यथा पुनः संख्यांकित क्रम सं. 7 में आशुलिपिक (श्रेणी 2) पद की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् ,

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	कनिष्ठ आशुलिपिक	4	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित) (अनुसचिवीय)	130-5-160-8-200-द० रो०-8-256-द०रो०-8-280-10-300द०	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष	सीनियर स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र इसके समतुल्य अर्हता। आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट थ्रीप टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(3) यथा पुनः संख्यांकित क्रम सं. 8 के उच्च श्रेणी लिपिक पद के स्तंभ 12 में, "और आशु-टंकक" और "अपनी अपनी श्रेणियों में" अभिव्यक्ति लुप्त कर दी जाएगी ।

(4) यथा पुनः संख्यांकित क्रम सं. 9 में निम्न श्रेणी लिपिक के पद "(जिसमें आशु-टंकक भी सम्मिलित हैं)" और उससे संबंधित प्रविष्टियों में :

(क) स्तम्भ 2 में, "(जिसमें आशु-टंकक भी सम्मिलित हैं)" कोष्टक और शब्द लुप्त कर दिए जाएंगे ,

(क) स्तम्भ 5 में "(क)" और "(ख)" आशु-टंकक की श्रेणी के लिए वेतन धन 20 रु. विशेष वेतन अभिव्यक्ति लुप्त कर दी जाएगी ,

(ग) स्तंभ 7 में "18-21" अंकों के स्थान पर "18-25" अंक रखे जाएंगे ,

(ग) स्तंभ 8 में "(ख)" के अन्तर्गत वर्णित "(क)" आशु-टंकक आशुलिपि में "80 शब्द प्रति मिनट" की गति और टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट" अभिव्यक्ति लुप्त कर दी जाएगी ।

[सं. 47037/9/72-का. स्था. 3]

आर. सुब्रह्मणियम, अवर सचिव

G.S.R. 1201.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Supari aur Masala Vikas Nideshalaya (Directorate of Arecanut and Spices Development), (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1968, namely :—

(1) These rules may be called the Supari aur Masala Vikas Nideshalaya (Dte. of Arecanut & Spices Development), (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Supari aur Masala Vikas Nideshalaya (Directorate of Arecanut and Spices Development) (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1968 :—

(i) the post of Stenographer Grade I, at serial number 7, and the entries relating there to shall be omitted and serial number 8 to 16 shall respectively be renumbered as serial number 7 to 15,

(ii) for the entries against the post of Stenographer (Grade II), at Serial number 7, as so re-numbered the following entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Junior Stenographer.	4	General Central Service Class III (Non-Gazetted) (Ministerial)	Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300.	Not applicable.	18-25 years.	Senior School Leaving Certificate or its equivalent qualification. Speed in shorthand 100 words per minute and in typewriting 40 words per minute.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	Direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(iii) against the post of Upper Division Clerk at Serial Number 8, as so re-numbered, in column 12, the expression "& Steno-typist" and "in the respective grades" shall be omitted.

(iv) against the entries relating to the post of Lower Division Clerk (including Stenotypist) at Serial number 9, as so re-numbered;

(a) in column 2 the breckets and words "(including Stenotypist)" shall be omitted;

(b) in column 5, the expression "(a)" and "(b)" for Steno-typist grade pay plus Rs. 20|- special pay" shall be omitted ;

(c) in Column 7 for the figures, "18-21", the figures "18-25" shall be substituted ; and

(d) in column 8, the expression "(a)" Steno-typist 80 w.p.m. speed in short-hand and 30 w.p.m. in typewriting appearing under (b), shall be omitted.

[No. 47037/9/72-EE.III]
R. SUBRAHMANIAM. Under Secy,

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1973

सा. का. नि. 1202.—मूल नियमों के नियम 45 के उपबंधों का अनुसरण करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा अनुपूरक नियमों के भाग 8 प्रभाग 26-डब्ल्यू में दिये गये भारत मौसम विज्ञान विभाग (आवासगृहों का आवंटन) नियम, 1969 में जो भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 23-एम(5)/64, दिनांक 27-2-1969, द्वारा जारी किये गये थे, और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) ये नियम भारत मौसम विज्ञान विभाग (आवासगृहों का आवंटन) संशोधन नियम 1973 कहलाएंगे ।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

अनुपूरक नियमों के भाग 8 प्रभाग 26-डब्ल्यू में दिये गये भारत मौसम विज्ञान विभाग (आवासगृहों का आवंटन) नियम 1969 के अ. नि. 317-26-डब्ल्यू-22 के उपनियम (1) के परन्तुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक और जोड़ दिया जाए, अर्थात् :—

"और यह भी कि खंड (क) के अन्तर्गत ऐसा कोई रद्दीकरण अथवा खंड (ख) के अन्तर्गत कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि कर्मचारी को उसकी बात की सुनवाई के लिए उचित अवसर न दे दिया जाएगा ।"

[सं. 23-एम(5)/64]
ओम प्रकाश यादव, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 10th October, 1973

G.S.R. 1202.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the India Meteorological Department (Allotment of Residences) Rules, 1969, contained in part VIII Division XXVI-W of the Supplementary Rules, issued with the notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. 23-M(5)/64 dated the 27th February, 1969, namely :—

(i) These rules may be called the India Meteorological Department (Allotment of Residences) Amendment Rules, 1973.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

In the India Meteorological Department (Allotment of Residences) Rules, 1969 contained in part VIII Division XXVI-W of the Supplementary Rules, in S.R. 317-XXVI-W-22., after the proviso to sub-rule (1), the following further proviso shall be inserted, namely :—

"provided further that no such cancellation under clause (a) or declaration under clause (b) shall be made except after giving the officer a reasonable opportunity of being heard."

[No. 23-M(5)/64]
O. P. YADAVA, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1973

सा. का. नि. 1203.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पदों पर भर्ती पदों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :—

(1) इन नियमों को क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी भर्ती नियमावली 1972 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(2) **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :—

पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतनमान इस नियमावली से संबंधित अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में दिये अनुसार होंगे ।

(3) **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** :—

उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा इनसे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में दिये अनुसार होंगे ।

(4) अनर्हताएं :—

(क) जिसने ऐसी महिला/ऐसे पुरुष से विवाह किया हो या करने का करार किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो, या करने का करार किया हो ।

वह उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाये कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर और जिससे विवाह किया गया है, उस पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा किये जाने के अन्य कारण हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

(5) **छूट देने का अधिकार** :—

जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक है, वहां वह लिखित कारणों के आधार पर तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश, द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों से किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	पद का नाम	पदो की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या अप्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वालो की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताए
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (वर्कशाप)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा प्रथम श्रेणी	रु० 400-400-450 30-600-35-670-रु०रो० 35-950	प्रवरण	35 वर्ष से कम (सरकारी कर्मचारियो के लिए छूट दी जा सकेगी ।	**अनिवार्य** : (1) किसी भी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से दूर सचार इंजीनियरी, ध्वनि इंजीनियरी की डिग्री या उसके समकक्ष । (2) किसी सरकारी संगठन अथवा ख्याति प्राप्त एल्केट्रोनिक प्रतिष्ठान मे श्रव्य दृश्य उपकरणो की बड़ी मरम्मत, अनुरक्षण परिचर्या का लगभग 3 साल का अनुभव, (अन्यथा सुयोग्य व्यक्ति/उम्मीदवारो के मामले में संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से इन अर्हताओ से छूट दे सकेगा) **वांछनीय** :– (1) सिगल/सेलेण्डर पेट्रोल इंजन ड्राइवन जेनेरेटरो की बड़ी मरम्मत और ओवरहाल करने का अनुभव । (2) गाड़ियो या लेथ की मरम्मत और अनुरक्षण का कार्यचालन ज्ञान । (3) क्रय या निपटान सम्बन्धी प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओ की जानकारी । (4) तकनीकी सामान अनुरक्षण प्राप्त करने या देने का अनुभव ।
(2)	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	1	राजपत्रित अलिपिक वर्गीय ।				

क्या सीधी भर्ती किये जाने वालो के लिए शैक्षिक अर्हताएं तथा निर्धारित आयु पदोन्नति से रखे जाने वाले व्यक्तियो के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती पद्धति सीधी भर्ती के द्वारा या प्रतिनियुक्ति के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण के द्वारा भर्ती किये जाने के लिए वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसका संगठन क्या है	किन परिस्थितियो से भर्ती करने से सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।
9	10	11	12	13	14
आयु नही, अर्हताए हां ।	2 वर्ष	50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% पदोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति निदेशालय के वे तकनीकी अधिकारी जिनकी इस ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा हो ।	प्रथम श्रेणी की विभागीय पदोन्नति समिति ।	जैसा सघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट विनियम, 1958 के अधीन) उपेक्षित है ।

[सं० 3/8/69 प्रशा०]

पी० के० सिन्हा, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the November, 1973

G.S.R. 1203.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution. The president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Technical Officers in the Directorate of Field Publicity, Ministry of Information & Broadcasting, namely :—

1. **Short title and commencement.—(i)** These rules may be called the Directorate of Field Publicity (Senior Technical Officers) Recruitment Rules, 1973.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts as specified in column 2 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number, Classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 3 to 5 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid.

Provided that the maximum age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person:—

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into, or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

SL.No.	Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Senior Technical Officer (Workshop)	1	General Central Service Class I Gazetted.	Rs.400- 400- 450- 30- 600- 35- 670- EB- 35- 950		Selection	35 years and below (relaxable for Government servant)
2. Senior Technical Officer	1	Non-Ministerial				

Educational and other qualifications for direct recruitment.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In the case of recruitment by promotion or transfer, the grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consuted in making recruitment
8	9	10	11	12	13	14
Essential 1. Degree in Telecommunication Engineering or Sound Engineering from a recognised University or equivalent. 2. About three Years' experience of handling major repairs to, and maintenance and servicing of audio-visual equivalent and the use of test instruments in a Government Organisation or reputed electronic concern (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). **Desirable** (i) Experience of major repairs and overhaul of single Cylinder petrol Engine Driven Generators, (ii) Working knowledge of maintenance and repairs of vehicles or lathe. (iii) Knowledge of administrative and financial procedures relating to purchase or disposal of technical stores. (iv) Experience in maintenance or receipt or issue of technical stores.	Age No. qualification yes	Two years	50% by direct recruitment and 50% by promotion failing which by direct recruitment	**Promotion** Technical Officers in the Directorate with at least five years' regular service in the grade	Class I departmental promotion committee	As required under the UPSC (exemption from Consultation) Regulation, 1958

[No. 3/8/69-Admn.]
P. K. SINHA, Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1973

The following translation in Hindi of the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1973 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (b) of sub-section (1) of Section 5, read with sub-section (3) of Section 3, of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963).

सा. का .नि. 1204.—यतः कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से विरचित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण भविष्य निधि, नियम, 1972 का प्रारूप, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 95, उपधारा(1) से यथापेक्षित, भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2) में पृष्ठ 3301 से 3312 पर श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और नियोजन विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना एस. ओ. संख्या 2368, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अधीन उसके द्वारा संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए उनसे, उक्त अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास की समाप्ति तक आक्षेप व सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था ,

और यत; उक्त राजपत्र जनता को 26 अगस्त, 1972 को उपलब्ध कराया गया था ,

और यतः जनता से कोई भी आक्षेप और सुझाव उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त नहीं हुए हैं ,

अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 95 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श के पश्चात् केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है :—

नियम

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—

(1) इन नियमों का नाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण भविष्य निधि) नियम, 1973 होगा ।

(2) ये 4 दिसम्बर, 1959 से प्रवृत्त समझे जायेंगे ।

2. **परिभाषाएं**:—

(1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "लेखा अधिकारी" से कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्य लेखा अधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अभिप्रेत है ,

(ख) "अधिनियम" से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) अभिप्रेत है ;

(ग) "उपलब्धियों" से मौलिक नियमों में परिभाषित वेतन छुट्टी सम्बलम अथवा जीवन निर्वाह अनुदान अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति के बारे में वेतन के रूप में प्राप्त मंहगाई वेतन और कोई परिश्रमिक, आता है ,

(घ) "कर्मचारी" से प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों से भिन्न निगम के स्टाफ के काडर पर नियुक्त या दर्ज व्यक्ति, अभिप्रेत है ।

(ङ) 'कुटुम्ब' से.—

(1) पुरूष अंशदायक की दशा में, अंशदायक की पत्नी या पत्नियों और सन्तान, तथा अंशदायक के मृतक पुत्र या पुत्रों की विधवा या विधवाएं और सन्तान अभिप्रेत हैं ;

परन्तु उस दशा में जबकि अंशदायक यह साबित करता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिकतः पृथक कर दी गई या उस सम्प्रदाय की, जिसकी वह है, रूढ़िजन्य विधि के अधीन वह भरण-पोषण की हकदार नहीं रह गई है, तो उन विषयों की बाबत जिनसे इन नियमों का सम्बन्ध है, वह उसके पश्चात् और आगे तब तक अंशदायक के कुटुम्ब का सदस्य नहीं समझी जाएगी जब तक कि अंशदायक तत्पश्चात् लिखित रूप से लेखा अधिकारी को यह प्रज्ञापित न कर दे कि उसे परिवार का सदस्य समझा जाता रहे ,

(2) नारी अंशदायक की दशा में, नारी अंशदायक का पति और सन्तान तथा नारी अंशदायक के मृतक पुत्र या पुत्रों की विधवा या विधवाएं और सन्तान अभिप्रेत हैं ,

परन्तु उस दशा में जब कोई नारी अंशदायक अपने कुटुम्ब से अपने पति को अपवर्जित करने का अपना आशय लिखित रूप में लेखा अधिकारी को अधिसूचित करती है तो उन विषयों की बाबत जिनसे इन नियमों का संबंध है, उसके पश्चात् नारी अंशदायक के पति को तब तक नारी अंशदायक के कुटुम्ब का सदस्य नहीं समझा जाएगा, जब तक कि नारी अंशदायक तत्पश्चात्लिखित रूप में ऐसी सूचना को रद्द न कर दे ।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड में 'सन्तान' से धर्मज सन्तान अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत जहां अंशदायक को शासित करने वाली स्वीय विधि द्वारा दत्तक ग्रहण मान्य है, दत्तक सन्तान, आती है ।

(च) "निधि" से कर्मचारी राज्य बीमा निगम साधारण भविष्य निधि, अभिप्रेत है ,

(छ) "छुट्टी" से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (स्टाफ और सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 द्वारा मान्य कोई छुट्टी अभिप्रेत है ;

(ज) "सेवा" से निगम के अधीन सेवा अभिप्रेत है ।

(झ) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

(2) ऐसे शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु जिनका अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, 1925, कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) निगम, 1950, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (स्टाफ और सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 या मौलिक नियमों में यथास्थिति, क्रमशः समनुदेशित अर्थ होगा ।

निधि का गठन

3. **निधि का गठन**.—(1) निधि गठित की जाएगी और रुपयों में रखी जाएगी ।

(2) इन नियमों के अधीन निधि में संदत्त सभी राशियों को "कर्मचारी राज्य बीमा निगम साधारण भविष्य निधि" नामक निधि में जमा किया जाएगा । इन नियमों के अधीन राशियों के सन्देय होने के पश्चात् छह मास के भीतर यदि उनका सन्दाय न ले लिया गया हो तो वर्ष के अन्त में उन्हें निक्षेप खाते में अन्तरित कर दिया जाएगा और निक्षेपों के संबंधित सामान्य नियमों के अधीन माना जायेगा ।

(3) जहां कोई कर्मचारी पेंशन सम्बन्धी सुविधा के लिए विकल्प करता है वहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम अभिदायी भविष्य निधि में, अंशदान में उसके हिस्से की रकम उस पर ब्याज सहित निधि में अन्तरित कर दी जायेगी और निगम के अभिदाय की राशि निगम में प्रतिवर्तित हो जाएगी ।

4. **लेखाअधिकारी द्वारा निधि का प्रवर्तन**.—निधि का प्रवर्तन लेखा अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो, इन नियमों के अधीन, किए जाने के लिए अपेक्षित सभी सन्दाय की व्यवस्था करने के लिए और इन नियमों के अनुसार निगम को समनुदेशित सभी बीमा पालिसियों को पुनः समनुदेशित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत है ।

5. **विनिधान निधि का सारा धन**.—कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) निगम, 1950 में, कर्मचारी राज्य बीमा निधि के धन के विनिधान के लिए निर्धारित पद्धति से विनिहित किया जायेगा ।

6. **पात्रता की शर्तें** .—एक वर्ष की निरन्तर सेवा के पश्चात् पुनर्नियोजित पेंशन भोगियों से भिन्न सभी अस्थायी कर्मचारी और सभी स्थायी कर्मचारी निधि में अंशदान करेंगे ।

परन्तु कोई ऐसा कर्मचारी, जिससे/जिसे अभिदायी भविष्य निधि में अंशदान करने की अपेक्षा की गई है या अनुज्ञा दी गई है, निधि में अंशदायक के रूप में शामिल होने या बने रहने का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक वह ऐसी अभिदायी भविष्य निधि में अंशदान करता है ;

परन्तु यह और भी कि ऐसे अस्थायी कर्मचारी, जिन्होंने 31 मार्च, 1960 के पूर्व एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है, निधि में 1 अप्रैल, 1960 से पूर्वतर किसी तारीख से अंशदान नहीं करेंगे ।

स्पष्टीकरण.—कोई अस्थायी कर्मचारी जो एक वर्ष की निरन्तर सेवा, मास के किसी दिन पूरी करता है, निधि में उसके पश्चात्वर्ती मास से अंशदान करेगा ।

नाम निर्देशन

7. नामनिर्देशन.—(1) निधि में सम्मिलित होने के समय प्रत्येक अंशदायक, लेखा अधिकारी को एक नामनिर्देशन भेजेगा जिसके द्वारा वह एक या अधिक व्यक्तियों को उस रकम को जो निधि में उसके नाम में जमा है, उस दशा में प्राप्त करने के लिए नाम निर्देशित करेगा जब उसकी मृत्यु, उस रकम के देय होने से पूर्व या देय हो जाने किन्तु संदत्त न किये जाने के पूर्व, हो जाए ।

परन्तु यदि नामनिर्देशन करने के समय अंशदाय का कोई कुटुम्ब है तो नाम निर्देशन उसके कुटुम्ब के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा

परन्तु यह और भी कि, किसी अन्य भविष्य निधि की बाबत अंशदायक द्वारा किया गया नामनिर्देशन, जिसमें अंशदायक, निधि में सम्मिलित होने से पूर्व अंशदान कर रहा था, यदि ऐसी अन्य निधि में उसके नाम में जमा रकम निधि में उसके नाम में अंतरित कर दी गई है तो उस नामनिर्देशन को तब तक इस नियम के अधीन सम्यक रूप से किया हुआ नामनिर्देशन समझा जाएगा जब तक वह इस नियम के अनुसार नामनिर्देशन नहीं कर देता ।

(2) यदि अंशदायक उपनियम (1) के अधीन, एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता है तो वह नामनिर्देशन में नामनिर्देशितियों में से प्रत्येक को देय रकम या अंश इस रीति से विनिर्दिष्ट करेगा जिससे कि वह सम्पूर्ण रकम जो निधि में किसी भी समय उसके नाम में जमा हो, उसके अंतर्गत आ जाएं ।

(3) हर नामनिर्देशन इन नियमों की प्रथम अनुसूची में उपवर्णित प्ररूपों में से किसी ऐसे एक प्ररूप में होगा जैसा कि प्रत्येक मामले में समुचित हो ।

(4) अंशदायक किसी भी समय लेखा अधिकारी को लिखित सूचना भेजकर नामनिर्देशन रद्द कर सकेगा ।

परन्तु अंशदायक ऐसी सूचना के साथ-साथ या पृथक रूप से इस नियम के उपबन्धों के अनुसार, एक नया नामनिर्देशन भेजेगा ।

(5) अंशदायक नामनिर्देशन में

(क) किसी विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिता की बाबत यह उपबन्ध कर सकेगा कि अंशदायक से पहले उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उस नामनिर्देशित को प्रदान किया गया अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट किया जाए, अन्तरित हो जाएगा :

परन्तु उस दशा में जब अंशदायक के कुटुम्ब का कोई सदस्य जीवित है तो ऐसा या ऐसे व्यक्ति उसके कुटुम्ब का या के सदस्य होना या होने चाहिए ;

परन्तु यह और भी कि यदि अंशदायक, इस खण्ड के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है तो वह ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक को सन्देय रकम या अंश इस रीति से विनिर्दिष्ट करेगा जिससे कि वह सम्पूर्ण रकम जो नाम निर्देशिती को सन्देय है, कि उसके अन्तर्गत आ जाए ,

(ख) यह उपबन्ध कर सकेगा कि नामनिर्देशन, उसमें विनिर्दिष्ट किसी आकस्मिकता के घटित होने की दशा में, अविधिमान्य हो जाएगा :

परन्तु, यदि नामनिर्देशन करने के समय अंशदायक का कोई कुटुम्ब नहीं है तो वह नामनिर्देशन में यह उपबन्ध करेगा कि यदि तत्पश्चात् उसका कोई कुटुम्ब हो जाए तो ऐसा नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा :

परन्तु, यह और कि यदि नामनिर्देशन करने के समय अंशदायक के कुटुम्ब में केवल एक सदस्य है तो वह नामनिर्देशन में उपबन्ध करेगा कि खण्ड (क) के अधीन अनुकल्पी नामनिर्देशित को प्रदान किया गया अधिकार अंशदायक के अपने कुटुम्ब में अन्य सदस्य या सदस्यों के हो जाने की दशा में भी अविधिमान्य हो जाएगा ।

(6) जैसे भी किसी ऐसी नामनिर्देशिती की मृत्यु हो जाये जिसकी बाबत नामनिर्देशन में उपनियम (5) के खण्ड (क) के अधीन कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, या किसी ऐसी घटना के होने पर जिसके कारण उपनियम (5) के खण्ड (ख) के अनुसरण में नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाता है, अंशदायक लेखा अधिकारी को, नामनिर्देशन को रद्द करते हुए, एक लिखित सूचना, इस नियम के उपबन्धों के अनुसार एक नये नामनिर्देशन के साथ, भेजेगा ।

(7) अंशदायक द्वारा किया गया हर नामनिर्देशन और रद्द करण की बाबत दी गई हर सूचना, उस विस्तार तक जिस तक कि वह विधिमान्य है, उस तारीख को प्रभावी होगा या होगी जिसको वह लेखा अधिकारी को प्राप्त हो ।

अंशदायक के खाते

8. **अंशदायक का खाता**.—प्रत्येक अंशदायक के नाम में एक खाता खोला जायेगा और उसमें उसके अंशदानों की रकम, उस पर नियम 13 के उप-नियम (2) में विहित रूप से संगणित ब्याज सहित और साथ ही निधि से लिए गए उधार और प्रत्याहरणों को दिखाया जायेगा ।

अंशदानों की शर्तें और दरें

9. **अंशदानों की शर्तें और दरें**.—(1) प्रत्येक अंशदायक निलम्बन की अवधि के दौरान के सिवाय प्रतिमास, निधि में अंशदान करेगा ।

परन्तु यह और कि निलम्ब में व्यतीत की गई अवधि के पश्चात् पुनः सदस्थापित होने पर अंशदायक को उक्त अवधि की बाबत देय अंशदान की अधिकतम रकम से अनधिक कोई राशि एक मुश्त में या किस्तों में दे सकने की अनुज्ञा दी जायेगी :

परन्तु यह और भी कि अंशदायक, अपने विकल्पानुसार, छुट्टी (तीस दिन से कम अवधि की अर्जित छुट्टी से भिन्न) की किसी अवधि के दौरान अंशदान नहीं कर सकेगा ।

(2) अंशदायक छुट्टी के दौरान अंशदान न करने के अपने निश्चय की प्रज्ञापना निम्नलिखित रीति से करेगा, अर्थात:—

(क) यदि वह ऐसा अधिकारी है जो अपना वेतन बिल स्वयं बनाता है तो छुट्टी पर जाने के पश्चात् अपने प्रथम वेतन बिल में अंशदान के खाते में कोई कटौती न करके ;

(ख) यदि वह ऐसा अधिकारी नहीं जो अपना वेतन बिल स्वयं बनाता हो तो छुट्टी पर जाने से पूर्व कार्यालय के मुख्य को लिखित रूप से संसूचित करेगा । समुचित और सामयिक प्रज्ञापना न दिये जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अंशदान करने का निश्चय किया है ।

टिप्पणी—इस उपनियम के अधीन एक बार प्रज्ञापित अंशदायक का विकल्प अन्तिम होगा ।

(3) कोई अंशदायक, जिसने नियम 33 के अधीन निधि में अपने नाम में जमा रकम प्रत्याहृत कर लिया है, ऐसे प्रत्याहरण के पश्चात निधि में तब तक अंशदान नहीं करेगा जब तक वह कर्त्तव्य पर वापिस नहीं आ जाता ।

10. अंशदान की दरें.—(1) निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अंशदान की रकम अंशदायक द्वारा स्वयं नियत की जाएगी, अर्थात:—

(क) यह पूर्ण रुपयों में व्यक्त की जाएगी ।

(ख) इस प्रकार व्यक्त यह कोई राशि हो सकेगी जो उसकी उपलब्धियों के 6 प्रतिशत से न्यून नहीं होगा तथा उसकी कुल उपलब्धियों से अधिक नहीं होगी :

परन्तु किसी ऐसे अंशदायक की दशा में जो पहले से ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम अभिदायी भविष्य निधि में 8-1/3 प्रतिशत की उच्चतर-दर से अंशदान कर रहा है और निधि के अधीन आने का विकल्प किया है तो इस प्रकार व्यक्त राशि उसकी कुल उपलब्धियों के 8-1/3 प्रतिशत से कम नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि वर्ग 4 के कर्मचारियों की दशा में, 75/- रु. से कम उपलब्धियां करने वालों की अंशदान की न्यूनतम दर प्रतिमास 4/- रु. होगी और अन्यों की दशा में प्रतिमास 5/- रु. होगी ।

(ग) जब कोई कर्मचारी, यथास्थिति, 6 प्रतिशत या 8-1/3 प्रतिशत की न्यूनतम दर से अंशदान करने का निश्चय करता है तो अंशदान को निकटतम पूर्ण रुपया तक पूर्णांकित कर दिया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए 50 पैसा और उससे अधिक को अगले उच्चतर रुपया तक पूर्णांकित कर दिया जाएगा ।

(2) उप नियम (1) के प्रयोजन के लिए, किसी अंशदायक को उपलब्धियां

(क) किसी ऐसे अंशदायक की दशा में जो पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को सेवा में था, वे उपलब्धियां होंगी जिनका हकदार वह उस तारीख को था .

परन्तु :—

(1) यदि उक्त तारीख को अंशदायक छुट्टी पर था और ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान न करने का निश्चय किया है या उक्त तारीख को निलम्बनाधीन था, तो उसकी उपलब्धियां वे उपलब्धियां होंगी जिनका हकदार वह कर्त्तव्य पर वापस आने के पश्चात् प्रथम दिन को था ;

(2) यदि उक्त तारीख को अंशदायक, भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उक्त तारीख को छुट्टी पर था और छुट्टी पर बना रहता है और ऐसा छुट्टी के दौरान अंशदान करने का निश्चय किया है तो उसकी उपलब्धियां वे उपलब्धियां होंगी जिनका हकदार वह तब होगा जब यथास्थिति, कर्त्तव्य पर रहा होता या भारत में कर्त्तव्य पर रहा होता,

(ख) किसी ऐसे अंशदायक की दशा में, जो पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को सेवा में नहीं था, वे उपलब्धियां होंगी जिनका हकदार वह उस दिन था जिस दिन निधि में शामिल हुआ ।

(3) अंशदायक प्रत्येक वर्ष में अपने मासिक अंशदान की रकम के नियतन की प्रज्ञापना निम्नलिखित रीति से देगा, अर्थात:—

(क) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को कर्त्तव्य पर था तो उस मास के अपने वेतन बिल से ऐसी कटौती करके जो इस निमित्त वह करता है या करवाता है;

(ख) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था और ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान न करने का निश्चय किया है या उस तारीख को निलम्बनाधीन था तो उसके कर्त्तव्य पर वापस आने के पश्चात् उसके प्रथम वेतन बिल से ऐसी कटौती करके जो इस निमित्त वह करता है या करवाता है;

(ग) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की छुट्टी पर था और छुट्टी पर बना रहता है और ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान करने का निश्चय किया है तो उसकी उस मास के वेतन बिल से, जिसके दौरान निधि में वह शामिल होता है, ऐसी कटौती करके जो इस निमित्त वह करता है या करवाता है;

(घ) यदि वह वर्ष के दौरान प्रथम बार सेवा में प्रविष्ट हुआ है तो उस मास के उसके वेतन बिल से ऐसी कटौती करके जो इस निमित्त वह करता है या करवाता है;

(ङ) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को, सरकार या किसी अन्य संगठन के अधीन किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर रहा हो तो चालू वर्ष के दौरान अप्रैल मास के अंशदान लेखा निगम की निधियों में उसके द्वारा जमा की गई रकम द्वारा ।

(4) इस प्रकार नियत की गई अंशदान की रकम, एक वर्ष के दौरान किसी समय एक ही बार घटाई या बढ़ाई जा सकेगी :

परन्तु इस प्रकार घटाई गई अंशदान की रकम, उप-नियम (1) में विहित न्यूनतम से कम नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि यदि कोई अंशदायक किसी मास के किसी भाग तक कर्तव्य पर हो और उस मास के शेष भाग के लिए छुट्टी पर हो और उसने छुट्टी के दौरान अंशदान न करने का निश्चय किया हो तो सन्देय अंशदान की रकम, मास में कर्तव्य पर बिताए गए दिनों की संख्या की अनुपातिक होगी ।

11. **सरकार या किसी अन्य संगठन के अधीन प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति.**—जब किसी अंशदायक को सरकार या किसी अन्य संगठन के अधीन किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर दिया जाये या भेजा जाये या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाए तो वह उस रीति से निधि के नियमों के अधीन रहेगा मानो कि उसका स्थानान्तरण नहीं हुआ या उसे प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया था ।

अंशदानों की वसूली

12. **अंशदानों की वसूली.**—(1) जहां उपलब्धियां कर्मचारी राज्य बीमा निधि से दी जाती हैं तो अंशदान की और निधि में से दिये गए उधार के मूल धन तथा ब्याज, यदि कोई हो, की वसूली उपलब्धियों में से सीधे ली जाएगी ।

(2) जब उपलब्धियां किसी अन्य स्त्रोत से दी जाती हैं, तब अंशदायक, अपने शोध्यों को लेखा अधिकारी को हर मास भेजेगा ।

(3) यदि कोई अंशदायक उस तारीख से जिसको निधि में शामिल होने की उससे अपेक्षा की गई है, अंशदान करने में असफल रहता है या नियम 9 में यथा उपबंधित से अन्य था किसी वर्ष के दौरान किसी मास या मासों में व्यतिक्रमी है तो अंशदान के बकाया लेखे निधि में देय कुल रकम उस पर नियम 13 में उपबंधित दर पर ब्याज सहित अंशदान द्वारा निधि में तत्काल संदत्त की जाएगी या व्यतिक्रम होने पर लेखा अधिकारी द्वारा अंशदायक की उपलब्धियों से, किस्तों में या अन्यथा जैसा ऐसे प्राधिकारी द्वारा निदेश दिया जाए जो ऐसे अग्रिम धन की स्वीकृति देने के लिए सक्षम हो जिसकी मंजूरी के लिए नियम 14 के उपनियम (2) के अधीन विशेष कारणों की अपेक्षा की जाती है, कटौती करके वसूल किए जाने का आदेश दिया जाएगा :

परन्तु उन अंशदायकों से, जिनके निधि में निक्षेपों पर कोई ब्याज नहीं मिलता, कोई ब्याज संदत्त करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

ब्याज

13. **ब्याज.**—(1) उपनियम (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम, अंशदायक के खाते में, ऐसी दर से ब्याज संदत्त करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के सेवकों के लिए साधारण भविष्य निधि की बाबत प्रत्येक वर्ष के लिए अवधारित किया जाए ;

(2) ब्याज प्रत्येक वर्ष के अन्तिम दिन से निम्नलिखित पद्धति से जमा किया जाएगा, अर्थात् :—

(1) पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिन अंशदायक के नाम में जमा रकम पर, उसमें से चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशियां कम करके, बारह मास का ब्याज ;

(2) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशियों पर, चालू वर्ष के आरम्भ से उस मास के, जिसमें रकम निकाली गई हो, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन पर्यन्त ब्याज ;

(3) पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिन के पश्चात् अंशदायक के खाते में जमा की गई कुल राशियों पर, जमा की तारीख से चालू वर्ष के अन्त तक ब्याज ;

(4) ब्याज की कुल रकम को निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा, (पचास पैसे और उससे अधिक को अगला उच्चतर रुपया माना जायेगा) ;

परन्तु जब किसी अंशदायक के नाम में जमा रकम देय हो चुकी हो तब इस नियम के अधीन ब्याज केवल, यथास्थिति, चालू वर्ष के आरम्भ से या निक्षेप की तारीख से इस तारीख तक की अवधि की बाबत, जिसको अंशदायक के नाम में जमा रकम देय हुई हो, जमा किया जायेगा ।

(3) इस नियम में निक्षेप की तारीख, उपलब्धियों में से वसूली की दशा में, उस मास का प्रथम दिन मानी जाएगी जिस मास में वसूली की जाती है, और उस रकम की दशा में जो अंशदायक द्वारा भेजी जाती है, प्राप्ति के मास का प्रथम दिन समझी जायेगी यदि वह रकम लेखा अधिकारी को उस मास के पांचवें दिन से पूर्व प्राप्त हो जाये किन्तु यदि वह रकम उस मास के पांचवें दिन या उसके पश्चात् प्राप्त की जाती है तो अगले परवर्ती मास का प्रथम दिन मानी जायेगी : परन्तु यहां अंशदायक का वेतन या छुट्टी सम्बलम तथा भत्तों के लेने में देरी हुई हो और परिणाम स्वरूप निधि हेतु उसके अंशदाय की वसूली में देरी हुई हो, वहां ऐसे अंशदानों पर ब्याज, अंशदायक के उस महीने की वेतन अथवा छुट्टी सम्बलम में से जो नियमों के अधीन उसे देय था, बिना उस बात पर विचार किये कि वे वस्तुतः किसी महीने लिया गया, सन्देय होगा ।

(4) उस रकम के अतिरिक्त जो नियम 32, 33, या 34 के अधीन संदत्त की जाती हो, उस पर, ब्याज, जिस मास में सन्दाय किया जाये उस मास के पूर्ववर्ती मास के अन्त तक या जिस मास में रकम सन्देय हो जाए उस मास पश्चात् छठे मास के अन्त तक, इन अवधियों में से जो भी कम हो, उस व्यक्ति को देय होगा जिसे ऐसी रकम संदत्त की जाती है ;

परन्तु जहां लेखा अधिकारी ने उस व्यक्ति को या उसके अभिकर्ता को यह तारीख प्रज्ञापित कर दी है जिस पर वह नकद सन्दाय करने के लिए तैयार है, या उस दशा में जब उसने उस व्यक्ति को उस रकम का चेक डाक से भेज दिया हो, ब्याज, यथास्थिति, केवल ऐसे प्रज्ञापन की तारीख या चेक के डाक से भेजने की तारीख से पूर्ववर्ती मास के अंत तक सन्देय होगा ।

(5) यदि कोई अंशदायक लेखा अधिकारी को यह जानकारी देता है कि वह ब्याज नहीं चाहता है तो उसके नाम में ब्याज जमा नहीं किया जायेगा :

परन्तु यदि किसी ऐसे मामले में, यदि अंशदायक तत्पश्चात् ब्याज मांगे तो जिस वर्ष में वह ब्याज मांगे, उस वर्ष के प्रथम दिन से जमा कर दिया जायेगा :

(6) नियम 12 के उपनियम (3), नियम 15 के उपनियम (5) नियम 23 के उपनियम (2) नियम 25 के उपनियम (4), नियम 27 के उपनियम (1), नियम 28 के उपनियम (1) या (2), नियम 32 या नियम 33 के अधीन निधि में अंशदायक के नाम में प्रतिस्थापित की जाने वाली रकमों पर ब्याज ऐसी दरों पर संगणित किया जायेगा जो इस नियम के उपनियम (1) के अधीन अनुक्रमशः विहित की जायें और जहां तक हो सके इस नियम में वर्णित रीति से संगणित किया जायेगा ।

निधि से उधार

14. **निधि से उधार** .—(1) महा निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी अंशदायक को ऐसे उधार के संदाय की, जो पूर्ण रूपयों का हो और तीन मास के वेतन की रकम से, या निधि में उसके नाम में जमा रकम के आधे से अधिक न हो, इन दोनों में से जो भी कम हो, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक प्रयोजन के लिए, मंजूरी दे सकेगा अर्थात् :—

(क) रुग्णता या निःशक्तता के बारे में व्ययों का सन्दाय करने के लिये जिसके अन्तर्गत जहां आवश्यक हो, अंशदायक या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति के यात्रा व्यय भी आते हैं ,

(ख) उच्च शिक्षा का खर्च वहन करने के लिए, जिसके अन्तर्गत, जहां आवश्यक हो, निम्नलिखित मामलों में, अंशदायक या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति के यात्रा व्यय भी आते हैं, अर्थात् :—

(1) हाई स्कूल प्रक्रम से ऊपर किसी शैक्षणिक, तकनीकी वृत्तिक या किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम की बाबत भारत के बाहर शिक्षा के लिए, तथा

(2) हाई स्कूल प्रक्रम से ऊपर भारत में किसी चिकित्सीय इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञीय पाठ्यक्रम के लिए, परन्तु यह तब जब अध्ययन क्रम तीन वर्ष से अन्यून अवधि का हो ;

(ग) बाध्यकर व्ययों के ऐसे मापमान पर सन्दाय के लिए जो उस प्रास्थिति के लिए समुचित हो जिसके लिए, रूढ़िगत प्रथा के अनुसार, अंशदायक की स्वयं के या उसकी सन्तानों के या वस्तुतः उस पर आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाहों या अन्य उत्सवों के बारे में व्यय उपगत करना है :

परन्तु, वास्तविक आश्रय दर्शित करने की आवश्यकता तब नहीं होगी जब उधार —

(1) अंशदायक की पुत्री या पुत्र के विवाह के व्यय वहन करने के लिए लिया जाये या

(2) अंशदायक के माता-पिता में से किसी की अंत्येष्टि के व्ययों को वहन करने के लिये लिया जाये ,

(घ) अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा किये गये या किये गये तात्पर्यित किसी काम की बाबत उसके विरुद्ध किये गये अभिकथनों के बारे में अपनी स्थिति को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए अंशदायक द्वारा संस्थित विधि कार्यवाहियों का खर्च वहन करने के लिए, ऐसा उधार, ऐसे उधार के अतिरिक्त यदि कोई निगम से उस प्रयोजन के लिए अनुज्ञेय हो, उपलब्ध होगा ;

परन्तु इस उप-खण्ड के अधीन उधार किसी ऐसे अंशदायक को अनुज्ञेय नहीं होगा जो किसी न्यायालय में या तो अपने पदीयकर्त्तव्यों से सम्बन्ध न रखने वाले किसी मामले की बाबत या संघ की किसी शर्त या निगम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी शास्ति की बाबत निगम के विरुद्ध विधि कार्यवाहियां संस्थित करता है ;

(ङ) जहां अंशदायक को निगम द्वारा किसी न्यायालय में अभियोजित किया गया है या जहां अंशदायक द्वारा किया गया अभिकथित किसी पदीय अवचार की बाबत किसी जांच में स्वयं की प्रतिरक्षा के लिए वह किसी विधिव्यवसायी को नियुक्त करता है तो अपने प्रतिरक्षा का खर्च वहन करने के लिए।

(2) लिखित रूप से लिपिबद्ध किये जाने वाले विशेष कारणों के सिवाये, किसी अंशदायक, को, कोई उधार, नियम (1) में अभिकथित सीमा के आधिक्य में, या जब तक किसी पूर्ववर्ती उधार की अन्तिम किस्त का प्रतिसन्दाय न कर दिया गया हो, महा-निदेशक की पूर्तिक मंजूरी के बिना मंजूर नहीं किया जाएगा।

टिप्पण :—इस नियम के प्रयोजन के लिए, वेतन के अन्तर्गत, जहां अनुज्ञेय हो, मंहगाई वेतन भी आता है।

15. उधारों **की वसूली.**—(1) अंशदायक से कोई उधार इतनी समान मासिक किस्तों में वसूल किया जायेगा जैसा मंजूरकर्त्ता प्राधिकारी निदेश दे ; किन्तु जब तक अंशदायक अन्यथा निश्चय न करे, ऐसी संख्या बारह से न्यून नहीं होगी तथा किसी भी दशा में चौबीस से अनधिक होगी। विशेष दशाओं में जहां नियम 14 के उपनियम (2) के अधीन, उधार, तीन मास के वेतन के आधिक्य में मंजूर किया गया है वहां मंजूर कर्त्ता प्राधिकारी किस्तों की ऐसी संख्या नियत कर सकेगा जो चौबीस से अधिक होगी। किन्तु छत्तीस से अधिक नहीं होगी। कोई अंशदायक, अपने विकल्प पर, एक मास में एक से अधिक किस्त प्रतिसंदत्त कर सकेगा। प्रत्येक किस्त पूर्ण रुपयों में नियत की जायेगी, ऐसे नियतन की अनुकूलता के लिए उधार की रकम बढ़ाई या घटाई जा सकेगी।

(2) उधारों की वसूली, अंशदान के आपन के लिए नियम 12 में विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी, और जिस मास में उधार लिया गया था उसके पश्चात्वर्ती मास का वेतन देने के साथ प्रारंभ होगी। वसूली, अंशदायक की सम्मति के सिवाए, जब वह जीवन-निर्वाह अनुदान पा रहा हो या छुट्टी (औसत वेतन पर छुट्टी से भिन्न या तीस दिन से कम अवधि की अर्जित छुट्टी) पर हो, नहीं की जायेगी। अंशदायक की लिखित प्रार्थना पर वसूली, अंशादायक को अनुदत्त अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान मंजूर-कर्त्ता प्राधिकारी द्वारा स्थापित की जा सकेगी।

(3) यदि किसी अंशदायक को एक से अधिक उधार दिया गया है तो वसूली के प्रयोजन के लिए प्रत्येक उधार को पृथक-पृथक समझा जायेगा।

(4) (क) उधार के मूल को पूर्णतः प्रतिसंदत्त करने के पश्चात्, मूल के लेने और उसके पूर्ण प्रतिसंदाय के बीच की अवधि के दौरान प्रत्येक मास या उसके किसी प्रभाग के लिये मूल के 1/5 प्रतिशत की दर से उस पर ब्याज संदत्त किया जायेगा :

परन्तु ऐसे अंशदायक जिनके निधि के निक्षेपों पर कोई ब्याज नहीं मिलता उनसे, निधि से उन्हें संदत्त उधारों पर ब्याज मद्दे कि न्हीं अतिरिक्त किस्तों की निधि में संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(ख) ब्याज सामान्यतः मूल के पूर्ण प्रतिसंदाय के पश्चात मास में एक किस्त में वसूल किया जाएगा ; किन्तु यदि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अवधि बीस मास से अधिक हो तो ब्याज, यदि अंशदायक ऐसी वांछा करे, दो समान मासिक किस्तों में वसूल किया जा सकेगा। वसूली की पद्धति, उप-नियम (2) में यथा उपबंधित

होगी । संदायों को, नियम 13 के उप-नियम (2) के खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट रीति से निकटतम रुपये में पूर्णांकित कर लिया जायेगा ।

(5) यदि किसी अंशदायक को कोई उधार मंजूर किया गया है और उसने उसे प्रत्याहृत कर लिया है और तत्पश्चात् प्रतिसंदाय पूरा होने से पहले ही उधार को रद्द कर दिया जाता है तो प्रत्याहृत रकम का सम्पूर्ण या बाकी नियम 13 में उपबंधित दर पर ब्याज सहित अंशदायक द्वारा निधि में तत्काल प्रतिसंदत्त किया जायेगा, या व्यतिक्रम करने पर लेखा अधिकारी, अंशदायक की उपलब्धियों से, एक मुश्त या मासिक किस्तों में जो, लेखा अधिकारी द्वारा ऐसा निदेश दिया जाये, बारह से अधिक नहीं होंगी, कटौती करके वसूल करने का आदेश देगा ।

परन्तु ऐसे अंशदायक जिनके निधि के निक्षेपों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, उनसे ब्याज संदत्त करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(6) इस नियम के अधीन की गई वसूलियां अंशदायक के खाते में निधि में जमा की जायेंगी ।

16. **उधार का संदोष उपयोग.**—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी यदि मंजूरकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि नियम 14 के अधीन निधि से उधार के रूप में लिया गया धन ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया गया है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए उधार मंजूर किया गया था तो इस प्रकार ली गई रकम, नियम 13 में उपबंधित दर पर ब्याज सहित, अंशदायक द्वारा निधि को तत्काल प्रतिसंदत्त की जायेगी, या व्यतिक्रम होने पर, अंशदायक की उपलब्धियों से, यदि वह छुट्टी पर हो तब भी, एक किस्त में कटौती करके उसे वसूल करने का आदेश दिया जाएगा । यदि इस प्रकार प्रतिसंदत्त की जाने वाली कुल रकम अंशदायक की उपलब्धियों के आधे से अधिक हो तो वसूलियां ऐसी मासिक किस्तों में, जो उसकी उपलब्धियों के आधे के बराबर हो तब तक की जाएंगी जब तक सम्पूर्ण रकम उसके द्वारा प्रतिसंदत्त न कर दी जाये ।

टिप्पण :— इस नियम में "उपलब्धियां" पद के अन्तर्गत जीवन निर्वाह अनुदान नहीं है ।

निधि से प्रत्याहरण

17. **निधि से प्रत्याहरण.**—(1) उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी अंशदायक के सेवा (जिसके अन्तर्गत सेवा की भंग अवधि भी सम्मिलित है, यदि कोई हो) के पचीस वर्ष पूरा हो जाने के पश्चात किसी समय या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख से पूर्व पांच वर्ष के भीतर, इन दोनों में से जो भी हो पूर्वतर हो नियम 14 के उप-नियम (2) के अधीन विशेष कारणों से उधार मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निधि में उसके नाम में जमा रकम से प्रत्याहरण, निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या उससे अधिक के लिए मंजूर किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) उच्च शिक्षा का खर्च वहन करने के लिए जिसके अन्तर्गत, जहां आवश्यक हो, अंशदायक की किसी सन्तान के यात्रा व्यय के लिए निम्न मामलों में अर्थात् :—

(1) हाई स्कूल प्रक्रम के ऊपर किसी शैक्षणिक, तकनीकी वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम की खातिर भारत के बाहर शिक्षा के लिए, तथा

(2) हाई स्कूल प्रक्रम के ऊपर, भारत के बाहर किसी चिकित्सीय, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेष-ज्ञीय पाठ्यक्रम के लिए, परन्तु यह तब जब अध्ययन क्रम तीन वर्ष से अन्यून अवधि का हो ,

(ख) अंशदायक के पुत्रों या पुत्रियों के या किसी अन्य स्त्री नातेदार के, जो उसके ऊपर आश्रित हो, विवाह के सम्बन्ध में व्यय वहन करने के लिए ;

(ग) रुग्णता के बारे में खर्च वहन करने के लिए जिसके अन्तर्गत, जहां आवश्यक हो, अंशदायक के या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति के यात्रा व्यय भी आते हैं ,

(घ) अपने निवास के लिए कोई उपयुक्त गृह का निर्माण करने या अर्जन करने जिसके अन्तर्गत स्थल का खर्च या प्रत्याहरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पूर्व किन्तु उस तारीख से बारह मास से पूर्वतर नहीं, इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप से लिये गये ऋण लेखे किसी बकाया रकम का प्रतिसंदाय करने, पुनः सन्निर्माण करने, या पहले से ही अंशदायक के स्वामित्व में, या उसके द्वारा अर्जित किसी गृह में कुछ और जोड़ने या परिवर्तन करने का खर्च भी आता है ;

(ङ) किसी गृह-स्थल का क्रय करने या प्रत्याहरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पूर्व किन्तु उस तारीख से बारह मास से पूर्वतर नहीं, इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप से लिए गए ऋण लेखे किसी बकाया रकम का प्रतिसन्दाय करने के लिए ,

(च) किसी क्रीत स्थल पर गृह सन्निर्माण के लिए, खण्ड (ङ) के अधीन प्रत्याहृत राशि का उपयोग करना :

परन्तु कोई अंशदायक, जिसने निगम से गृह निर्माण के प्रयोजन के लिए, गृह-निर्माण उधार नियम के अधीन उधार लिया है, या जिसे इस सम्बन्ध में किसी सरकारी स्रोत से सहायता की अनुज्ञा दी गई है, पूर्वोक्त स्रोत से लिए गये किसी ऋण के प्रतिसंदाय के अभिव्यक्त प्रयोजन के सिवाय, खण्ड (घ), (ङ) और (च) के अधीन अन्तिम प्रत्याहरण की मंजूरी का पात्र नहीं होगा ।

(2) निधि से वास्तविक प्रत्याहरण केवल, लेखा अधिकारी से प्राधिकरण की प्राप्ति पर ही किया जायेगा जो मंजूरकर्त्ता प्राधिकारी की औपचारिक मंजूरी होने पर उसकी व्यवस्था करेगा ।

18. **प्रत्याहरण की शर्तें.**—(1) किसी अंशदायक द्वारा, निधि में उसके नाम में जमा रकम से, नियम 17 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए किसी एक समय प्रत्याहृत कोई राशि, सामान्यतः ऐसी रकम के आधे से या छः मास के वेतन से, दोनों में से, जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी । तथापि मंजूरकर्ता प्राधिकारी, इस सीमा के आधिक्य में रकम के प्रत्याहरण की मंजूरी दे सकेगा परन्तु निम्नलिखित बातों अर्थात् :—

(1) उद्देश्य जिसके लिए प्रत्याहरण किया जा रहा है ;

(2) अंशदायक की प्रास्थिति, और

(3) निधि में उसके नाम में जमा रकम का ध्यान रखते हुए निधि में उसके नाम में जमा रकम के तीन चौथाई तक की मंजूरी दे सकेगा ।

(2) कोई अंशदायक जिसे नियम 17 के अधीन निधि से धन प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दी गई है, किसी मंजूरकर्ता प्राधिकारी को, ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर जैसी उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, यह समाधान करेगा कि धन का प्रयोग उसी

प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह प्रत्याहृत किया गया था यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो इस प्रकार प्रत्याहृत सम्पूर्ण राशि या उसका उतना अंश जिसका प्रयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए वह प्रत्याहृत किया गया था, अंशदायक द्वारा तत्स्थान निधि को, नियम 13 के अधीन अवधारित दर पर उस रकम पर ब्याज सहित एक मुश्त राशि प्रतिसंदत्त की जायेगी और ऐसे सन्दाय में त्रुटि करने पर उसकी उपलब्धियों से या तो एक-मुश्त या इतनी मासिक किस्तों में वसूल किया जायेगा जितनी महा-निदेशक द्वारा अवधारित की जायेगी ।

(3) उप-नियम (2) की कोई बात यह अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जायेगी कि अंशदायक, जिसके निधि के निक्षेपों पर कोई ब्याज नहीं मिलता, उस उप-नियम के अधीन प्रतिसन्देय किसी राशि पर कोई ब्याज संदत्त करे ।

19. **किस्ती उधार का प्रत्याहरण में संपरिवर्तन.**—कोई भी अंशदायक, जिसने नियम 17 के उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए नियम 14 के अधीन पहले ही उधार ले लिया है या जो भविष्य में उधार ले, स्वविवेकानुसार, मंजूरकर्त्ता प्राधिकारी के माध्यम से, लेखा अधिकारी को संबोधित लिखित प्रार्थना द्वारा उसके सामने बकाया अतिशेष को अन्तिम प्रत्याहरण में संपरिवर्तित कर सकेगा यदि नियम 17 और 18 में अधिकथित शर्तों का समाधान हो गया है ?

20. **बीमा पालिसियों का संदाय.**—नियम 21 से 30 तक में अन्तर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, निधि में अंशदायक के नाम में जमा अंशदान की रकम उस पर ब्याज सहित—

(1) जीवन बीमा की किसी पालिसी के सन्दाय, या

(2) एकल सन्दाय बीमा पालिसी के क्रय, के लिए प्रत्याहृत की जा सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई प्रत्याहरण .—

(क) लेखा अधिकारी को प्रस्थापित पालिसी के ब्यौरे पेश किये जाने और उसे यथोचित रूप में स्वीकार किये जाने के पूर्व, या

(ख) प्रत्याहरण के लिए दावे के आवेदन या प्रस्तुतीकरण से तीन मास से अधिक पूर्व किये गये किसी सन्दाय या क्रय को पूरा करने के लिए, या

(ग) प्रत्याहरण के लिए दावे के आवेदन या प्रस्तुतीकरण की तारीख के तीन मास के भीतर सन्दाय के लिए वस्तुतः देय प्रीमियम देने के लिए अपेक्षित रकम के अधिशेष में, नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि शैक्षिक विन्यास पालिसी की बाबत, यदि वह पालिसी, अंशदायक की सामान्य अधिवर्षता की आयु के पूर्व पूर्णतः या भागतः सन्दाय के लिए शोध्य हो, किसी सन्दाय या क्रय के लिए कोई भी रकम प्रत्याहृत नहीं की जा सकेगी :

परन्तु यह और भी कि प्रत्याहृत रकम निकटतम पूर्ण रूपये तक पूर्णांकित कर दी जायेगी ।

21. **पालिसियों की संख्या जो निधि से फिर पोषित की जा सकती हैं .**—(1) पालिसियों की संख्या, जिनकी बाबत नियम 20 के अधीन, निधि से अंशदान के प्रत्याहरण की अनुज्ञा दी जा सकेगी, चार से अधिक नहीं होगी ।

(2) किसी पालिसी के लिए प्रीमियम, जिसकी बाबत नियम 20 के अधीन निधि से अंशदान के प्रत्याहरण की अनुज्ञा दी जा सकेगी, वार्षिक से अन्यथा सन्देय नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण :—उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट पालिसियों की अधिकतम संख्या की संगणना करने में ऐसी पालिसियां जो परिपक्व हो गई हैं या जो अंश समावर्त्त पालिसियों में संपरिवर्तित कर दी गई हैं, अपवर्जित कर दी जायेंगी ।

22. **न्यूनतम अंशदानों का सन्दाय.**—यदि कोई अंशदायक, निधि में अपने नाम में जमा किसी रकम का, नियम 20 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रत्याहरण करता है तो वह, नियम 10 के अधीन सन्देय अंशदान निधि को संदत्त करता रहेगा ।

23. **नियम 20 के अधीन रकमों का प्रत्याहरण.**—(1) कोई अंशदायक जो नियम 20 के अधीन कोई रकम प्रत्याहृत करने की वांछा करे—

(क) पत्र द्वारा लेखा अधिकारी को प्रत्याहरण की प्रज्ञापना देगा ;

(ख) प्रत्याहरण के लिए लेखा अधिकारी से व्यवस्था करेगा ;

(ग) लेखा अधिकारी को, ऐसी अवधि के भीतर जैसी लेखा अधिकारी अपेक्षा करे, उसका यह समाधान करने के लिए कि प्रत्याहृत रकम का प्रयोग नियम 20 में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से किया गया, रसीदें या रसीदों की प्रमाणित प्रतियां भेजेगा ।

(2) लेखा अधिकारी किसी प्रत्याहृत रकम की, जिसकी बाबत, उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन अपेक्षित रीति से उसका समाधान नहीं हुआ है, नियम 13 में उपबंधित दर से उस पर ब्याज सहित, अंशदायक की उपलब्धियों से, वसूली का आदेश देगा और इसे निधि में अंशदायक के नाम में जमा कर देगा ।

24. **नियम अंशदायक की ओर से बीमाकर्त्ता को संदाय नहीं करेगा .**—(1) निगम अंशदायक की ओर से बीमाकर्त्ता को कोई संदाय नहीं करेगा और न किसी जीवन बीमा पालिसी को चालू रखने के लिए कोई कदम उठायेगा ।

(2) इन नियमों के अधीन ग्राह्य पालिसी ऐसी पालिसी होनी चाहिए जो अंशदायक ने स्वयं अपने जीवन के सम्बन्ध में ली हो, (सिवाय उस पालिसी के जो किसी पुरूष अंशदायक ने अपनी पत्नी या सन्तान या उनमें से किसी के फायदे के लिए पालिसी पर स्पष्टतः ऐसा उल्लेख कर के ली हो) ऐसी पालिसी होनी चाहिये जो अंशदायक द्वारा निगम को विधितः समनुदेशित की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण.—1. अंशदायक और अंशदायक की पत्नी या पति के संयुक्त जीवन सम्बन्ध में ली गई पालिसी इस नियम के प्रयोजन के लिए अंशदायक के जीवन के सम्बन्ध में ली गई पालिसी समझी जायेगी ।

स्पष्टीकरण.—2. वह पालिसी जो अंशदायक की पत्नी के नाम में समनुदेशित की गई है तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि वह पालिसी या तो पहले अंशदायक को समनुदेशित न कर दी जाये या अंशदायक और उसकी पत्नी, दोनों समुचित समनुदेशन में सम्मिलित नहीं हो जायें ।

(3) अंशदायक की पत्नी या पति और सन्तान या उनमें से किसी से अन्यथा किसी हिताधिकारी के फायदे के लिए पालिसी नहीं कराई जा सकेगी ।

25. **पालिसियों का समनुदेशन.**—(1) किसी पालिसी की बाबत निधि में से प्रथम रकम निकालने के 6 मास के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जैसी कि लेखा अधिकारी द्वारा, उस दशा में जब पूर्वता प्रमाणपत्रों (अंतरिम रसीद) के पेश किये जाने से उसका समाधान हो जाये, नियत की जाये, हर पालिसी,—

(क) सिवाय उस पालिसी के जो किसी पुरुष अंशदायक ने अपनी पत्नी, या पति और सन्तान या उनमें से किसी के फायदे के लिए पालिसी पर स्पष्टतः ऐसा उल्लेख करके, ली हो, ऐसी राशि के सन्दाय के लिए प्रतिभूति के रूप में जो नियम 29 के अधीन निधि में सन्दाय हो जाये, निगम की समनुदेशित कर दी जायेगी और लेखा-अधिकारी को परिदत्त की जायेगी । समनुदेशन इन नियमों की द्वितीय अनुसूची के प्ररूप 1 या प्ररूप 2 या प्ररूप 3 में पालिसी पर पृष्ठांकन करके इस बात के अनुसार किया जायेगा कि पालिसी अंशदायक के जीवन के सम्बन्ध में है या अंशदायक तथा उसकी पत्नी या पति के संयुक्त जीवन के सम्बन्ध में है या पालिसी अंशदायक की पत्नी को पहले ही समनुदेशित की जा चुकी हो ।

(ख) यदि पालिसी किसी पुरुष अंशदायक द्वारा अंशदायक की पत्नी और सन्तान या उनमें से किसी के फायदे के लिए, पालिसी पर स्पष्टतः ऐसा उल्लेख कर के ली गई हो तो वह लेखा अधिकारी को परिदत्त की जायेगी ।

(2) जब भी संभव हो लेखा अधिकारी बीमाकर्ता को निदेश कर के यह समाधान कर लेगा कि पालिसी का कोई पूर्व समनुदेशन विद्यमान नहीं है ।

(3) जब कोई पालिसी एक बार लेखा अधिकारी द्वारा निधि से वित्त घोषित किये जाने के प्रयोजन के लिए प्रतिगृहीत कर ली जाये तब लेखा अधिकारी की पूर्व संमति के बिना, जिसे परिवर्तन या नयी पालिसी के विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे, न तो उसके निबन्धनों में कोई परिवर्तन किया जायेगा और न ही पालिसी का किसी अन्य पालिसी से विनिमय किया जायेगा ।

(4) यदि उक्त 6 मास की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो लेखा अधिकारी ने उप-नियम (1) के अधीन नियत की हो, पालिसी समनुदेशित तथा परिदत्त न की जाये तो पालिसी की बाबत निधि से निकाली गई कोई रकम नियम 13 में उपबन्धित दर से उस पर ब्याज सहित अंशदायक द्वारा निधि को अविलम्ब प्रतिसंदत्त की जायेगी या व्यतिक्रम की दशा में, लेखा अधिकारी द्वारा अंशदायक की उपलब्धियों में से किस्तों में या अन्यथा, जैसा कि लेखा अधिकारी निर्देश करे, कटौती, कर के वसूल करने के आदेश दिये जा सकेंगे ।

(5) पालिसी के समनुदेशन की सूचना अंशदायक द्वारा बीमाकर्ता को दी जाएगी और बीमाकर्ता द्वारा सूचना की अभिस्वीकृति समनुदेशन की तारीख से 3 मास के भीतर लेखा अधिकारी को भेज दी जाएगी ।

26. **पालिसियों पर बोनस.**—अंशदायक पालिसी के चालू रहने के दौरान ऐसा कोई बोनस नहीं निकालेगा जिसका पालिसी के निबन्धनों के अधीन ऐसी चालू अवस्था के दौरान निकाला जाना वैकल्पिक हो, और किसी ऐसे बोनस की रकम, जिसे, पालिसी के निबन्धनों के अधीन, पालिसी की चालू अवस्था के दौरान निकालने से विरत रहने के लिए अंशदायक को कोई विकल्प नहीं है, अंशदायक द्वारा अविलम्ब निधि में संदत्त की जायेगी या व्यतिक्रम की दशा में लेखा अधिकारी जैसा निर्देश करे उसकी उपलब्धियों में से किस्तों में या अन्यथा कटौती कर के वसूल की जाएगी ।

27. **पालिसियों का पुनर्समनुदेशन.**—(1) नियम 30 के द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, जब कोई अंशदायक—

(क) सेवा छोड़े , या

(ख) निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला जाए और लेखा अधिकारी को पालिसी के पुनर्समनुदेशन या वापसी के लिए आवेदन करे , या

(ग) छुट्टी पर रहते हुए ही उसे निवृत्त होने की अनुज्ञा दे दी जाए या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाये वह लेखा अधिकारी को पालिसी के पुनर्समनुदेशन या वापसी के लिए आवेदन करे , अथवा

(घ) नियम 20 में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए निधि से निकाली गई किसी भी सम्पूर्ण रकम को, नियम 13 में उपबंधित दर पर उस पर ब्याज सहित, निधि में संदत्त कर दे , तो लेखा अधिकारी :—

(1) यदि पालिसी निगम को नियम 25 के अधीन समनुदेशित की जा चुकी है तो पालिसी को इन नियमों की तीसरी अनुसूची के प्ररूप 1 में, यथास्थिति, अंशदायक को, अथवा अंशदायक तथा संयुक्त बीमाकृत को, पुनर्समनुदेशित करेगा, और उसे, बीमाकर्ता को संबोधित पुनर्समनुदेशित की हस्ताक्षरित सूचना के साथ, अंशदायक को सौंप देगा ;

(2) यदि नियम 25 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन पालिसी उसे परिदत्त की जा चुकी है तो, पालिसी अंशदायक को सौंप देगा :

परन्तु यदि अंशदायक, निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चले जाने के पश्चात् या छुट्टी पर रहते हुए, निवृत्त होने की अनुज्ञा दिए जाने पर या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे की सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिये जाने के पश्चात् कर्तव्य पर वापस आ जाए तो इस प्रकार समनुदेशित या सौंपी गई कोई पालिसी, यदि वह परिपक्व नहीं हुई हो या समनुदेशित या प्रभारित या किसी प्रकार से भारग्रस्त न कर दी गई हो तो नियम 25 में उपबंधित रीति से, यथास्थिति, पुनः निगम को समनुदेशित और लेखा अधिकारी को परिदत्त की जाएगी या लेखा अधिकारी को पुनः परिदत्त की जाएगी, तथा तद्पुरि इन नियमों के उपबंध यावत्शक्य उस पालिसी की बाबत पुनः लागू होंगे :

परन्तु यह और कि यदि पालिसी परिपक्व हो चुकी है या समनुदेशित या प्रभारित या किसी अन्य प्रकार से प्रभार भारग्रस्त की जा चुकी हो तो नियम 25 के उपनियम (4) के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो पालिसी के समनुदेशन में और परिदत्त करने में, असफलता हुई हो ।

(2) नियम 30 द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, यदि किसी अंशदायक की मृत्यु सेवा छोड़ने से पहले हो जाए तो, लेखा अधिकारी :—

(1) यदि पालिसी नियम 25 के अधीन निगम को समनुदेशित की जा चुकी है तो पालिसी को इन नियमों की तृतीय अनुसूची के प्ररूप-2 में ऐसे व्यक्ति को पुनर्समनुदेशित

करेगा जो उसे विधिकतया प्राप्त करने का हकदार है, तथा बीमाकर्ता को संबंधित पूर्व समनुदेशन की हस्ताक्षरित सूचना सहित उसे पालिसी को ऐसे व्यक्ति को सौंप देगा ,

(2) यदि नियम 25 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन उसे पालिसी परिदत्त की जा चुकी है तो हिताधिकारी को, यदि कोई हो या यदि कोई हिताधिकारी न हो तो, ऐसे व्यक्ति को जो उसे विधिकतया प्राप्त करने का हकदार हो, सौंप देगा ।

28. **पालिसियों के परिपक्व होने की दशा में प्रक्रिया.**—(1) यदि नियम 25 के अधीन निगम को समनुदेशित पालिसी अंशदायक के सेवा छोड़ने से पूर्व परिपक्व हो जाती है या यदि उक्त नियमों के अधीन समनुदेशित कोई ऐसी पालिसी जो अंशदायक तथा अंशदायक की पत्नी या पति के संयुक्त जीवन के संबंध में हो, अंशदायक की पत्नी या पति की मृत्यु के कारण संदाय देय हो जाने से असफल हो जाती है, तो लेखा अधिकारी नियम 30 में यथाउपबंधित के सिवाय, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा :—

(1) यदि बीमा की रकम और उस पर उद्भूत किन्हीं बोनसों की रकम, उस पालिसी की बाबत निधि में से निकाली गई सम्पूर्ण रकम नियम 13 में उपबंधित दर से उस पर ब्याज सहित रकम से अधिक हो तो लेखा अधिकारी, पालिसी नियमों की चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में यथास्थित, अंशदायक को या अंशदायक तथा संयुक्त बीमाकृत को पुनर्समनुदेशित करेगा और उसे अंशदायक को सौंप देगा जो बीमाकर्ता से पालिसी की रकम के प्राप्त होते ही अविलम्ब निकाली गई कुल रकम को ब्याज सहित निधि में प्रतिसंदत्त करेगा, तथा व्यक्ति कम की दशा में नियम 31 के उपबंध वैसे ही लागू होंगे जैसे वे ऐसे मामलों के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिनमें, नियम 20 के अधीन निधि से प्रत्याहृत रकम ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई है जिसके लिए प्रत्याहरण की मंजूरी दी गई थी ।

(2) यदि बीमा की रकम और उस पर उद्भूत किन्हीं बोनसों की रकम निधि में से निकाली गई ब्याज सहित सम्पूर्ण रकम से कम हो तो लेखा अधिकारी बीमा की रकम, उस पर उद्भूत बोनसों सहित वसूल करेगा और इस प्रकार से वसूल की गई रकम निधि में अंशदायक के जमा खाते में डाल देगा ।

(2) नियम 30 में यहां उपबंधित के सिवाय, यदि नियम 25 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन लेखा अधिकारी को परिदत्त की गई कोई पालिसी अंशदायक के सेवा छोड़ने से पहले परिपक्व हो जाती है तो लेखा अधिकारी पालिसी को अंशदायक को सौंप देगा :

परन्तु उस दशा में जब उस पालिसी में अंशदायक की पत्नी, या पत्नी तथा सन्तान का हित, या उनमें से किसी का हित, जैसा कि पालिसी के ऊपर विनिर्दिष्ट हो, पालिसी के परिपक्व होने के समय अवसित हो गया हो तो अंशदायक, यदि बीमा का धन बीमाकर्ता द्वारा उसे संदत्त किया जाये तो, उसके प्राप्त होते ही, अविलम्ब :—

(1) या तो पालिसी की बाबत निधि में से निकाली हुई सम्पूर्ण रकम, नियम 13 में उपबंधित दर से उस पर ब्याज सहित, अथवा

(2) बीमा की रकम के बराबर रकम और उस पर उद्भूत बोनस, दोनों में से जो भी कम हो, निधि में प्रतिसंदत्त करेगा तथा व्यतिक्रम की दशा में नियम 31 के उपबन्ध, वैसे ही लागू होंगे जैसे वे ऐसे मामलों के संबंध में लागू होते हैं जिनमें, नियम 20 के अधीन निधि से प्रत्याहृत रकम ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई है जिसके लिए प्रत्याहरण की मंजूरी दी गई थी ।

29. **पालिसियों का व्यपगत होना या संदाय समनुदेशन.**—यदि कोई पालिसी व्यपगत हो जाती है, या नियम 25 के अधीन निगम से भिन्न किसी अन्य को समनुदेशित की जाती है, प्रभारित या भार ग्रस्त कर दी जाती है, तो नियम 25 के उप-नियम (4) के उपबन्ध, जो किसी पालिसी के समनुदेशन में या परिवर्त्त करने में असफल रहने की दशा में लागू होते हैं, लागू होंगे ।

30. पालिसियों के समनुदेशित, प्रभारित या भारग्रस्त होने की सूचना प्राप्त होने की दशा में लेखा अधिकारी का कर्तव्य—यदि लेखा अधिकारी को,—

(क) समनुदेशन (नियम 25 के अधीन निगम से भिन्न किसी अन्य को समनुदेशन), या

(ख) प्रभारण या भारग्रस्त होने, अथवा

(ग) किसी पालिसी या उस पर वसूल की गई किसी रकम के संव्यवहार पर रोक लगाने सम्बन्धी न्यायालय के किसी आदेश, की सूचना प्राप्त हो तो वह लेखा अधिकारी—

(1) जैसा कि नियम 27 में उपबन्धित है, पालिसी का पुनर्समनुदेशन नहीं करेगा या उसे नहीं सौंपेगा, या

(2) जैसा कि नियम 28 में उपबन्धित है, पालिसी के अन्तर्गत बीमा की रकम को वसूल नहीं करेगा या पालिसी का पुनर्समनुदेशन नहीं करेगा, या उसे नहीं सौंपेगा,

किन्तु उस मामले को तत्काल ही निगम की स्थायी समिति को निर्दिष्ट करेगा ।

31. **प्रत्याहृत धन का संदाय उपयोग.**—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी यदि मंजूरकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि नियम 20 के अधीन निधि में से उधार के रूप में निकाला गया धन उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया है जिसके लिए उस धन के प्रत्याहरण की मंजूरी दी गई थी तो प्रश्नगत रकम अविलम्ब, नियम 13 में उपबन्धित दर से उस पर ब्याज सहित, अंशदायक द्वारा निधि में प्रतिसंदत्त की जाएगी या व्यतिक्रम की दशा में अंशदायक की उपलब्धियों में से, अंशदायक छुट्टी पर भी क्यों न हो कटौती करके सम्पूर्ण रकम वसूल कर ली जाएगी । यदि प्रतिसंदत्त की जाने वाली कुल रकम, अंशदायक की उपलब्धियों के आधे से अधिक हो तो वसूली, समस्त रकम उसके द्वारा प्रतिसंदत्त होने तक, ऐसी मासिक किस्तों में की जाएगी जो उसकी उपलब्धियों के आधे के बराबर हों ।

टिप्पण.—इस नियम के प्रयो "उपलब्धियों" के अन्तर्गत निर्वाह अनुज्ञान नहीं आता है ।

निधि में के संचयों का अन्तिम प्रत्याहरण :

32. **निधि में के संचयों का अन्तिम प्रत्याहरण.**—अंशदायक द्वारा निगम की सेवा छोड़ने की दशा में, निधि में उसके नाम

में जमा रकम, उस, कटौतियों के अधीन, यदि कोई हों, संदेय होगी ;

परन्तु यदि कोई अंशदायक जिसे सेवा से पदच्युत किया गया हो और जो तदनन्तर सेवा में पुनः पद स्थापित हो जाए तो वह महानिदेशक द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किये जाने पर, इस नियम के अनुसरण में निधि में से उसे संदत्त की गई किसी रकम को, नियम 13 में उपबन्धित दर से उस पर ब्याज सहित, तथा नियम 33 के परन्तुक में वर्णित रीति से प्रतिसंदत्त कर देगा और इस प्रकार प्रतिसंदत्त रकम निधि में उसके खाते में जमा कर दी जाएगी ।

33. **अंशदायक की सेवा निवृत्ति.**—जब कोई अंशदायक—

(क) सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला जाए , या

(ख) छुट्टी पर रहते हुए सेवा निवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाए या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया जाए,

तो निधि में उसके नाम में जमा रकम, उसके द्वारा लेखा अधिकारी को इस बाबत आवेदन करने पर, अंशदायक को संदेय होगी :

परन्तु वह अंशदायक यदि कर्तव्य पर वापस आ जाए तो उसे, महा निदेशक द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किए जाने पर, इस नियम के अनुसरण में निधि में से उसे संदत्त की गई रकम को पूर्णतः या अंशतः नियम 13 में उपबन्धित दर से उस पर ब्याज सहित, नकद में या प्रतिभूतियों में या अंशतः नकद में और अंशतः प्रतिभूतियों में, किस्तों में या अन्यथा, अपनी उपलब्धियों में से वसूली कराकर या अन्यथा, जैसा कि उधार की मंजूरी के लिए राक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, जिसके अनुदान के लिए नियम 14 के उपनियम (2) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित हैं, अपने खाते में जमा कराने के लिए निधि में प्रतिसंदत्त कर देगा ।

34. **अंशदायक की मृत्यु हो जाने की दशा में प्रक्रिया.**—निधि में किसी अंशदायक के नाम में जमा रकम के देय होने से पूर्व, या रकम के देय हो जाने किन्तु संदत्त न किये जाने के पूर्व, उस अंशदायक की मृत्यु हो जाने की दशा में—(1) जहां अंशदायक ने कोई कुटुम्ब छोड़ा है :—

(क) यदि नियम 7 के उपबन्धों के अनुसार अंशदायक द्वारा अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन विद्यमान है तो निधि में उस अंशदायक के नाम में जमा रकम या उसका वह भाग जिसके संबंध में नामनिर्देशन है, अंशदायक के नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में देय होगा ;

(ख) यदि अंशदायक के कुटुम्ब के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोई नामनिर्देशन विद्यमान नहीं है, या यदि ऐसा नामनिर्देशन निधि में अंशदायक के नाम में जमा रकम के कुछ ही भाग की बाबत है, तो, यथास्थिति, ऐसी सम्पूर्ण रकम या उसका वह भाग जिसकी बाबत कोई नामनिर्देशन नहीं है, अंशदायक के कुटुम्ब के सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के पक्ष में तात्पर्यित किसी नामनिर्देशन के होते हुए भी, अंशदायक के कुटुम्ब के सदस्यों में समान अंशों में देय होगा :

परन्तु कोई भी अंश,—

(1) वयस्कता प्राप्त पुत्रों को ;

(2) मृत पुत्र के वयस्कता प्राप्त पुत्रों को ,

(3) उन विवाहिता पुत्रियों को जिनके पति जीवित हैं, ,

(4) मृत पुत्र की उन विवाहिता पुत्रियों को जिनके पति जीवित हैं, ,

देय नहीं होगा यदि खण्ड (1), (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट से भिन्न, कुटुम्ब का कोई अन्य सदस्य जीवित है :

परन्तु यह और कि किसी मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और सन्तान अपने बीच में उस अंश का बराबर-बराबर भाग प्राप्त करेंगी जो अंश पुत्र, अंशदायक का उत्तरजीवी होने की दशा में और प्रथम परन्तुक के खण्ड (1) के उपबन्धों से छूट दिए जाने की दशा में, प्राप्त करता ,

(2) अंशदायक का कोई कुटुम्ब न होने की दशा में, यदि अंशदायक द्वारा नियम 7 के उपबन्धों के अनुसार किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में किया गया कोई नामनिर्देशन विद्यमान है तो निधि में अंशदायक के नाम में जमा रकम या उसका वह भाग जिसके सम्बन्ध में नामनिर्देशन है, अंशदायक के नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में देय होगा

35. **निधि में अंशदायक के नाम में जमा रकम के सन्दाय की रीति.**—(1) जब निधि में अंशदायक के नाम में जमा रकम देय हो जाए तो जैसा कि उपनियम (3) में उपबन्धित है, इस निमित्त लिखित आवेदन की प्राप्ति पर लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उसका सन्दाय करे ।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसे इस नियमों के अनुसार कोई रकम या पालिसी संदत्त, समनुदेशित, पुनर्समनुदेशित या परिदत्त की जानी हो, पागल हो और उसकी सम्पदा के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अधीन इस निमित्त कोई प्रबन्धक नियुक्त किया गया हो तो संदाय पुनर्समनुदेशन या परिदान से प्रबन्धक को किया जाएगा, न कि उस पागल को ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस नियम के अधीन संदाय के दावे की वांछा करे, लेखा अधिकारी को इस निमित्त एक लिखित आवेदन भेजेगा । निकाली गई रकमों का संदाय केवल भारत में ही किया जाएगा और वे व्यक्ति जिन्हें रकमें देय हैं, भारत में संदाय प्राप्त करने के लिए अपनी-अपनी व्यवस्थाएं करेंगे ।

टिप्पण.—जब किसी अंशदायक के नाम में जमा रकम नियम 32, 33 या 34 के अधीन देय हो जाए तब लेखा अधिकारी अंशदायक के नाम में जमा ऐसी रकम के उस भाग को, जिसकी बाबत कोई विवाद या सन्देह नहीं है, तत्पर संदाय प्राधिकृत करेगा और अधिशेष उसके पश्चात् यथाशक्य शीघ्र समायोजित किया जाएगा ।

36. **खाते का अभिदायी भविष्यनिधि को अन्तरण.**—यदि निधि का कोई अंशदायक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भविष्य निधि) विनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन स्थापित निगम की अभिदायी भविष्य निधि के फायदों में तत्पश्चात् सम्मिलित

कर लिया जाता है तो उसके अंशदान की रकम, उस पर ब्याज सहित, निगम की अभिदायी भविष्य निधि के खाते में उसके नाम में जमा रकम अभिदायी भविष्य निधि में अन्तरित कर दी जाएगी ।

टिप्पण.—इस नियम के उपबन्ध किसी ऐसे अंशदायक को लागू नहीं होंगे जो संविदा पर नियुक्त किया गया है या जो सेवा निवृत्त हो चुका है और तत्पश्चात् सेवा के भंग सहित या उसके बिना किसी ऐसे अन्य पद पर पुनर्नियोजित किया गया है जिस पर अभिदायी भविष्य निधि फायदे मिलते हैं ।

37. **व्यक्तिगत मामलों में नियमों के उपबंधों का शिथिलीकरण.**—जब स्थायी समिति का यह समाधान हो जाए कि इन नियमों में से किन्हीं के प्रवर्तन से किसी अंशदायक को अनुचित कठिनाई होती है या होने की संभावना है तो वह, ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् तथा इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अंशदायक के मामलों को ऐसी रीति से बरत सकेगी जो उसे न्यायसंगत और सम्यक् प्रतीत हो ।

प्रक्रिया नियम

38. **अंशदान के संदाय के समय लेखा संख्या का उद्धृत किया जाना.**—जब उपलब्धियों में से कटौती या नकद में अंशदान का संदाय भारत में करते समय अंशदाय निधि में अपने लेखे की संख्या जो उसे लेखा अधिकारी द्वारा संसूचित की जाएगी, उद्धृत करेगा । इसी प्रकार से संख्या में कोई परिवर्तन लेखा अधिकारी द्वारा अंशदायक को संसूचित किया जाएगा ।

39. **लेखे का वार्षिक विवरण अंशदायक को दिया जाएगा.**—

(1) लेखा अधिकारी, प्रत्येक वर्ष के अन्त के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, प्रत्येक अंशदायक को, निधि में उसके लेखे का विवरण जिसमें वर्ष के प्रथम अप्रैल को जैसा शेष हो वह दर्शित किया जाएगा, वर्ष के दौरान जमा की गई और निकाली गई कुल रकम, वर्ष की 31 मार्च को जमा की गई ब्याज की कुल रकम और उस तारीख को अन्त अन्तिशेष, भेजेगा लेखा अधिकारी, लेखा के विवरण के साथ एक जांच संलग्न करेगा कि क्या अंशदायक,—

(क) नियम 7 के अधीन किए गये किसी नामनिर्देशन में कोई परिवर्तन करने की वांछा करता है ,

(ख) उन दशाओं में जिनमें अंशदायक ने, नियम 7 के उप-नियम (1) के परन्तुक के अधीन अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के पक्ष में नाम निर्देशन नहीं किया है, कोई कुटुम्ब अर्जित कर लिया है ।

(2) अंशदायक वार्षिक विवरण की शुद्धता के बारे में अपना समाधान करेंगे और विवरण की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर गलतियां, लेखा अधिकारी के ध्यान में लायी जाएगीं ।

(3) लेखा अधिकारी, यदि किसी अंशदायक द्वारा अपेक्षित हो, वर्ष में एक बार, किन्तु एक बार से अधिक नहीं, अंशदायक को उस अन्तिम मास के अन्त में जिसके लिए उसके लेखे का पूर्ण विवरण दिया गया था निधि में उसके नाम में जमा कुल रकम की सूचना देगा ।

प्रथम अनुसूची [नियम 7(3)]
नामनिर्देशन प्रारूप
1

(जब अंशदायक का कोई कुटुम्ब हो और वह उसके एक सदस्य को नामनिर्देशित करने की वांछा करें)

मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण भविष्य निधि) नियम 1972 के नियम 2 में यथापरिभाषित मेरे कुटुम्ब का सदस्य है, उस रकम को जो निधि में मेरे नाम में जमा है, उस दशा में प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हूं, जब मेरी मृत्यु, उस रकम के देय होने से पूर्व या देय हो जाने किन्तु संवत्त न किए जाने के पूर्व, हो जाए :

नामनिर्देशिती का नाम तथा पता	अंशदायक से नाता	आयु	वे आकस्मिकताएं जिनके घटित होने की दशा में नाम-निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा	उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का, यदि कोई हों, नाम, पता और नाता, जिसे/जिन्हें नामनिर्देशिती की मृत्यु अंशदायक से पहले हो जाने की दशा में, उस नामनिर्देशिती का अधिकार अन्तरित हो जाएगा

तारीख, सन् 19 . . . . के/की . . . . . के . . . . . दिन . . . . .

स्थान

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

1. (क) नाम . . . . . .
(ख) उपजीविका . . . . . .
(ग) पता . . . . . .
(घ) हस्ताक्षर . . . . . .

अंशदायक के हस्ताक्षर

2. (क) नाम . . . . . .
(ख) उपजीविका . . . . . .
(ग) पता . . . . . .
(घ) हस्ताक्षर . . . . . .

II

(जब अंशदायक का कोई कुटुम्ब हो और वह उसके एक से अधिक सदस्य को नामनिर्देशित करने की वांछा करे)

मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण भविष्य निधि) नियम, 1972 के नियम 2 मे यथापरिभाषित मेरे कुटुम्ब के सदस्य हैं, उस रकम को जो निधि में मेरे नाम मे जमा है, उस दशा में प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हूं, जब मेरी मृत्यु, उस रकम के देय होने से पूर्व या देय हो जाने किन्तु संदत्त न किए जाने से पूर्व, हो जाए और निदेश करता हूं कि उक्त रकम उक्त व्यक्तियों में उनके नाम के सामने नीचे वर्णित रीति में बांट दी जाएगी :—

नामनिर्देशिती का नाम और पता	अंशदायक से नाता	आयु	*प्रत्येक को सूचित रकम में से दी जाने वाली रकम या अंश	वे आकस्मिकताएं जिनके घटित होने की दशा में नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा	उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का, यदि कोई हो, नाम, पता और नाता, जिसे/जिन्हे/नामनिर्देशिती की मृत्यु अंशदायक से पहले हो जाने की दशा मे, उस नामनिर्देशिती का अधिकार अन्तरित हो जाएगा

तारीख, सन् 19 . . . . . के/की . . . . . के . . . . . दिन . . . . .

स्थान . . . . .

अंशदायक के हस्ताक्षर

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

1. (क) नाम . . . . . .
   (ख) उपजीविका . . . . . .
   (ग) पता . . . . . .
   (घ) हस्ताक्षर . . . . . .
2. (क) नाम . . . . . .
   (ख) उपजीविका . . . . . .
   (ग) पता . . . . . .
   (घ) हस्ताक्षर . . . . . .

*टिप्पण— यह स्तम्भ इस रीति से भरा जाएगा जिससे कि वह सम्पूर्ण रकम, जो निधि में किसी समय अंशदायक के नाम में जमा हो, इसके अन्तर्गत आ जाए ।

III

(जब अंशदायक का कोई कुटुम्ब न हो और वह किसी एक व्यक्ति को नामनिर्देशित करने की वांछा करे)

मैं, जिसका कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण भविष्य निधि) नियम 1972 के नियम 2 में यथापरिभाषित कोई कुटुम्ब नही है, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को, उस रकम को जो निधि में मेरे नाम में जमा है, उस दशा में मैं प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हूं, जब मेरी मृत्यु उस रकम के देय होने से पूर्व या देय हो जाने किन्तु संदत्त न किये जाने के पूर्व, हो जाए:—

नामनिर्देशिती का नाम तथा पता	अंशदायक से नाता	आयु	*वे आकस्मिकताएं जिनके घटित होने की दशा में नामनिर्देश अविधिमान्य हो जाएगा	उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का, यदि कोई हों, नाम, पता और नाता, जिसे/जिन्हें नामनिर्देशिती की मृत्यु अंशदायक से पहले हो जाने की दशा में उस नामनिर्देशिती का अधिकार अन्तरित हो जाएगा

तारीख, सन् 19 . . . . . के/की . . . . . के . . . . . दिन . . . . .

स्थान . . . . . .

अंशदायक के हस्ताक्षर

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

1. (क) नाम .....
   (ख) उपजीविका .....
   (ग) पता .....
   (घ) हस्ताक्षर .....
2. (क) नाम .....
   (ख) उपजीविका .....
   (ग) पता .....
   (घ) हस्ताक्षर .....

*टिप्पण:—जहां नामनिर्देशन के समय अंशदायक का कोई कुटुम्ब नही है वहां वह इस स्तंभ में यह विनिर्दिष्ट करेगा कि यदि तत्पश्चात् उसका कोई कुटुम्ब हो जाए तो यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा ।

IV

(जब अंशदायक का कोई कुटुम्ब न हो और वह एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करने की वांछा करे)

मैं, जिसका कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण भविष्य निधि) नियम, 1972 के नियम 2 में यथा परिभाषित कोई कुटुम्ब नहीं है, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को, उस रकम को जो निधि में मेरे नाम में जमा है, उस दशा में प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हूं, जब मेरी मृत्यु, उस रकम के देय होने से पूर्व या देय हो जाने किन्तु सन्दत्त न किए जाने से पूर्व, हो जाए और निदेश करता हूं कि उक्त रकम उक्त व्यक्तियों में उन के नाम के सामने नीचे वर्णित राशि में बांट दी जाएगी :–

नामनिर्देशिती का नाम और पता	अंशदायक से नाता	आयु	*प्रत्येक को संदेय रकम में से दी जाने वाली रकम या अंग	**वे आकस्मिकताएं जिनके घटित होने की दशा में नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा	उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का, यदि कोई हो, नाम, पता और नाता, जिसे/जिन्हें नामनिर्देशिती की मृत्यु, अंशदायक से पहले हो जाने की दशा में, उस नामनिर्देशिती का अधिकार अन्तरित हो जाएगा

तारीख, सन् 19 . . . . . के/की . . . . . के . . . . . दिन . . . . . ।

स्थान . . . . . .

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

1. (क) नाम.....
   (ख) उपजीविका.....
   (ग) पता .....
   (घ) हस्ताक्षर.....
2. (क) नाम.....
   (ख) उपजीविका.....
   (ग) पता.....
   (घ) हस्ताक्षर .....

अंशदायक के हस्ताक्षर

*टिप्पणी–– यह स्तम्भ इस रीति से भरा जायेगा जिससे कि वह सम्पूर्ण रकम, जो निधि में किसी भी समय अंशदायक के नाम में जमा हो, इसके अन्तर्गत आ जाये।

**टिप्पणी––जहां नामनिर्देशन के समय अंशदायक का कोई कुटुम्ब नहीं है वहां वह इस स्तंभ में यह विनिर्दिष्ट करेगा कि यदि तत्पश्चात् उसका कोई कुटुम्ब हो जाए तो यह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा ।

द्वितीय अनुसूची [नियम 25 (1) (क)]

समनुदेशन परूप

प्ररूप

मैं, क ख . . . . . निवासी . . . . . एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को यह बीमा पालिसी उन सभी राशियों के संदाय के लिए प्रतिभू के रूप में समनुदेशित करता हूं जो मैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण भविष्य निधि) नियम 1972 के नियम 29 के अधीन, तत्पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण भविष्य निधि) को संदत्त करने का दायी होऊं।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि इस पालिसी का कोई और पूर्विक समनुदेशन अस्तित्वशील नहीं है।

तारीख सन् 19 . . . . . के/की . . . . . के, ... दिन . . . . . स्थान . . . . . .

अंशदायक के हस्ताक्षर

एक साक्षी के हस्ताक्षर

प्ररूप 2

हम, क ख (अंशदायक) . . . . . निवासी . . . . . और ग घ (संयुक्त बीमाकृत) निवासी . . . . . इस बात के प्रतिफलस्वरूप कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुझे, उक्त क ख द्वारा, यथास्थिति, कर्मचारी राज्य बीमा निगम साधारण भविष्य निधि में देय अंशदानों के स्थान पर इस बीमा पालिसी के संबन्ध में संदायों के लिए (या उक्त क ख के नाम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम साधारण भविष्य निधि में जमा राशि में से इस बीमा पालिसी के प्रीमियम चुकाने के लिए . . . . . रु० की राशि की निकासी स्वीकृत करने के) हमारे निवेदन को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए है, अतः हम एतद्द्वारा संयुक्त और पृथकतः, यह बीमा पालिसी, उन सभी राशियों के संदाय के लिए प्रतिभू के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम को समनुदेशित करते है जो उक्त क ख, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण भविष्य निधि) नियम, 1972 के अधीन तत्पश्चात् निधि को संदत्त करने के लिए दायी होगा।

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते है कि इस पालिसी का कोई और पूर्विक समनुदेशन अस्तित्वशील नहीं है ।

तारीख सन् 19 . . . . . के/की . . . . . के . . . . . दिन ।

अंशदायक तथा संयुक्त बीमाकृत के हस्ताक्षर

स्थान

एक साक्षी के हस्ताक्षर

प्रारूप 3

मैं, ग, घ, जो क, ख की पत्नी और इस पालिसी की समनुदेशिती हूं बीमाकृत क, ख के निवेदन पर इस पालिसी में के अपने हित को क, ख के हक में छोड़ देने के लिए सहमत हो चुकी हूं जिससे कि क, ख पालिसी को कर्मचारी राज्य बीमा निगम साधारण भविष्य निधि में देय अंशदानों के स्थान पर इस बीमा पालिसी के संदायों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गये हैं, एतद्द्वारा क, ख के निवेदन पर और उसके निदेशानुसार बीमा की यह पालिसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम को समनुदेशित करती हूं और मैं, उक्त क, ख बीमा की इस पालिसी को उन सभी राशियों के संदाय के लिए प्रतिभू के रूप में समनुदेशित और पुष्ट करती हूं जो मैं उक्त निधि के नियमों के नियम 29 के अधीन एतद्द्वारा निधि को संदत्त करने का दायी होऊं ।

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि इस पालिसी का कोई और पूर्विक समनुदेशन अस्तित्वशील नहीं है ।

तारीख, सन् 19.....का.....दिन ।

समनुदेशिती और अंशदायक के हस्ताक्षर

एक साक्षी के हस्ताक्षर

आस्थान

तृतीय अनुसूची (नियम 27)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा पुनः समनुदेशन प्ररूप

प्रारूप I

चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा नियम (साधारण भविष्य निधि) नियम, 1972 के नियम 29 के अधीन उपर्युक्त क, ख द्वारा संदेय सभी राशियां संदत्त की जा चुकी हैं और उसके द्वारा भविष्य में ऐसी किसी राशि के संदाय का संपूर्ण दायित्व समाप्त हो चुका है, अतः कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्द्वारा इस बीमा पालिसी को उक्त क, ख और ग, घ को पुनः समनुदेशित करते हैं ।

क, ख

तारीख सन् 19.....का.....दिन ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिये और उनकी ओर से निधि के लेखा अधिकारी श्री.....द्वारा.....की उपस्थिति में निष्पादित ।

एक्स वाई

वाई जेड (लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर)

(एक साक्षी का नाम जिसे अपना पदनाम और पता भी देना चाहिए)

प्रारूप II

उपर्युक्त क, ख की 19.....के.....दिन, मृत्यु हो जाने के कारण कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्द्वारा इस बीमा पालिसी को ग, घ.....*को पुनः समनुदेशित करता है ।

तारीख 19.....का.....दिन ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए और उसकी ओर से निधि के लेखा अधिकारी श्री.....द्वारा.....की उपस्थिति में निष्पादित

एक्स वाई

वाई जेड (लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर)

(एक साक्षी का नाम जो अपना पदनाम और पता भी देगा)

चतुर्थ अनुसूची (नियम 28)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा पुनः समनुदेशन प्ररूप कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्द्वारा इस बीमा पालिसी को क, ख. को एतद्द्वारा पुनः समनुदेशित करते हैं ।

तारीख सन् 19.....का.....दिन क, ख और ग, घ

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए और उसकी ओर से निधि के लेखा अधिकारी श्री.....द्वारा.....की उपस्थिति में निष्पादित

एक्स वाई

वाई जेड (लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर)

(एक साक्षी के नाम जो अपना पदनाम और पता भी देगा)

*यहां उन व्यक्तियों की विशिष्टियां लिखें जो विधितः पालिसी लेने के हकदार हों।

[फा० संख्या 109/1/70-एच० आई०]

टी० के० रामाचन्द्रन, अवर सचिव

(रवीन्द्र नाथ)

सहायक प्रारूपकार

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 26th October, 1973

G.S.R. 1204.—WHEREAS the draft Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1972, framed after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, were published as required by sub-section (i) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), on pages 3301 to 3312 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), under the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), No. S.O. 2368, dated the 26th August, 1972, for the information of, and inviting objections and suggestions or representations from the persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of one month from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

AND WHEREAS the said Gazette was made available to the public on the 26th August, 1972;

AND WHEREAS no objections and suggestions were received from the public on the said draft rules;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, the Central Government hereby makes the following rules; namely :—

Preliminary

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1973.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 4th December, 1959.

2. Definitions—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Accounts Officer" means the Chief Accounts Officer of the Employees' State Insurance Corporation or such other officer as may be specified in this behalf;

(b) "Act" means the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

(c) "emoluments" means pay, leave salary or subsistence grant as defined in the Fundamental Rules, and includes dearness pay and any remuneration of the nature of pay received in respect of deputation;

(d) "employee" means a person appointed to or borne on the cadre of the staff of the Corporation, other than persons on deputation ;

(e) "family" means—

(i) In the case of a male subscriber, the wife or wives and children of a subscriber, and the widow or widows and the children of a deceased son or sons of the subscriber ;

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance, she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Accounts Officer that he shall continue to be so regarded;

(ii) in the case of a female subscriber, the husband and children of a subscriber, and the widow or wives and children of a subscriber, and the widow or widows and the children of a deceased son or sons of the subscriber;

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

Explanation—In this clause, "Children" means legitimate children and includes an adopted child, where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber ;

(f) "Fund" means the Employees' State Insurance Corporation General Provident Fund ;

(g) "leave" means any kind of leave recognised by the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1959;

(h) "service" means service under the Corporation

(i) "year" means a financial year.

(2) Words and expressions used but not defined therein shall have the meanings respectively assigned to them in the Act, the Provident Fund Act, 1925 (19 of 1925), the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1959, or the Fundamental Rules, as the case may be.

Constitution of the Fund

3. Constitution of the Fund.—(1) The Fund shall be maintained in rupees.

(2) All sums paid into the Fund under these rules shall be credited to a Fund called "The Employees' State Insurance Corporation General Provident Fund". Sums of which payment has not been taken within six months after they become payable under these rules shall be transferred to the Deposit Account at the end of the year and treated under the ordinary rules relating to deposits.

(3) Where an employee opts for pensionary benefits, the amount representing his own share of the subscription together with interest thereon in the Employees' State Insurance Corporatoni Contributory Provident Fund shall be transferred to the Fund and the sums representing the Corporation's contribution with interest thereon shall revert to the Corporation.

4. Operation of Fund by the Accounts Officer.—The Fund shall be operated upon by the Accounts Officer who is hereby authorised to arrange for all payments required to be made under these rules and to re-assign, in accordance with these rules, all insurance policies assigned to the Corporation.

5. Investments.—All monies belonging to the Fund shall be invested in the manner specified in the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, for investment of monies belonging to the Employees' State Insurance Fund.

6. Conditions of eligibility.—All temporary employees, other than re-employed pensioners, after a continuous service of one year and all permanent employees, shall subscribe to the Fund:

Provided that no such employee as has been required or permitted to subscribe to a contributory Provident Fund shall be eligible to join or continue as a subscriber to the Fund, so long as he subscribes to such Contributory Provident Fund:

Provided further that such of the temporary employees who have completed continuous service of one year before the 31st March, 1960 shall not subscribe to the Fund from a date earlier than the 1st April, 1960.

Explanation.—A temporary employee who completes one year of continuous service on any day of a month shall subscribe to the Fund with effect from the subsequent month.

Nominations

7. Nominations.—(1) A subscriber shall, at the time of joining the Fund, send to the Accounts Officer, a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund, in the event of his death, before that amount has become payable or having become payable has not been paid:

Provided that if, at the time of making the nomination, the subscriber has a family, the nomination shall not be in favour of any person or persons other than the members of his family:

Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other provident fund to which he was subscribing before joining the Fund shall, if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in the Fund, be deemed to be a nomination duly made under this rule until he makes a nomination in accordance with this rule.

(2) If a subscriber nominates more than one person under sub-rule (1), he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees, in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.

(3) Every nomination shall be in such one of the Forms set forth in the First Schedule to these rules as is appropriate in the circumstances.

(4) A subscriber may at any time cancel a nomination made by him by sending a notice in writing to the Accounts Officer :

Provided that the subscriber shall, along with such notice or separately, send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

(5) A subscriber may provide in a nomination—

(a) in respect of any specified nominee, that in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination :

Provided that such other person or persons shall, if the subscriber has any other members in his family, be such other member or members of the family ;

Provided further that where the subscriber confers the right under this clause on more than one person, he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee ;

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein.

Provided that if at the time of making the nomination, the subscriber has no family, he shall provide in the nomination that it shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family :

Provided further that if at time of making the nomination the subscriber has only one member of his family, he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of sub-rule (5) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub-rule (5), the subscriber shall send a notice in writing to the Accounts Officer cancelling the nomination, together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

(7) Even nomination made, and every notice of cancellation given, by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Accounts Officer.

Subscriber's Accounts

8. Subscriber's Account—An account shall be opened in the name of each subscriber, in which shall be entered the amount of his subscriptions with interest thereon calculated as prescribed in sub-rule (2) of rule 13 as well as the advances and withdrawals made from the Fund.

Conditions and rates of subscriptions

9. Conditions of subscriptions.—(1) A subscriber shall subscribe to the Fund every month except during the period when he is under suspension :

Provided that a subscriber on re-instatement after a period of suspension shall be allowed the option of paying in one or more instalments, any sum not exceeding the maximum amount of subscription payable in respect of the said period :

Provided further that a subscriber may, at his option, not subscribe during any period of leave (other than earned leave of less than thirty day's duration).

(2) The subscriber shall intimate his election not to subscribe during leave in the following manner, namely :—

(a) if he is an officer who draws his own pay bills, by making no deduction on account of subscription in his first pay bill drawn after proceeding on leave ;

(b) if he is not an officer who draws his own pay bills, by written communication to the head of office before he proceeds on leave. On failure to give proper and timely intimation, he shall be deemed to have elected to subscribe.

NOTE—The option of a subscriber once intimated under this sub-rule shall be final.

(3) A subscriber who has, under rule 33 withdrawn the amount standing to his credit in this Fund shall not subscribe to the Fund after such withdrawal unless he returns to duty.

10. Rates of subscription—(1) The amout of subscription shall be fixed by the subscriber himself, subject to the following conditions, namely :—

(a) It shall be expressed in whole rupees.

(b) It may be any sum, so expressed, which shall not be less than 6 per cent of his emoluments and more than his total emoluments :

Provided that in the case of a subscriber who has previously been subscribing to the Employees' State Insurance Corporation Contributory Provident Fund at the higher rate of 8-1/3 per cent, and has opted to come under the Fund, the sum so expressed shall not be less than 8-1/3 per cent of his total emoluments :

Provided further that in the case of Class IV employees the minimum rate of subscription shall be Rs. 4/- per month in the case of those drawing emoluments of less than Rs. 75/- per month and Rs. 5/- per month in the case of others.

(c) when an employee elects to subscribe at the minimum rate of 6 per cent or 8-1/3 per cent, as the case may be, the subscription shall be rounded to the nearest whole rupee and for this purpose, 50 paise and more shall be rounded to the next higher rupee.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the emoluments of a subscriber shall be—

(a) In the case of a subscriber who was in service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on that date :

Provided that :—

(i) if the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty ;

(ii) if the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on leave on the said date and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, his emoluments shall be the emoluments to which he would have been entitled had he been on duty or on duty in India, as the case may be ;

(b) In the case of a subscriber who was not in service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on the day he joins the Fund.

(3) The subscriber shall intimate the fixation of the amount of his monthly subscription in each year in the following manner, namely :

(a) If he was on duty on the 31st March of the preceding year, by the deduction which he makes or causes to be made in this behalf from his pay bill for that month ;

(b) If he was on leave on the 31st March of the preceding year and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on that date, by the deduction which he makes or causes to be made in this behalf from his first pay bill after his return to duty ;

(c) If he was on leave on the 31st March of the preceding year, and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave by the deduction which he makes or causes to be made in this behalf from his pay bill for the month during which he joins the Fund ;

(d) If he has entered service for the first time during the year, by the deduction which he makes or causes to be made in this behalf, from his pay bill for that month ;

(e) If he was on deputation to a post under Government of another Organisation on the 31st March of the preceding year, by the amount credited by him into the funds of the Corporation on account of subscription for the month of April in the current year.

(4) The amount of subscription so fixed may be enhanced or reduced once at any time during the course of a year :

Provided that when the amount of subscription is so reduced, it shall not be less than the minimum prescribed in sub-rule (1) ;

Provided further that if a subscriber is on duty for a part of a month and on leave for the remainder of that month and if he has elected not to subscribe during leave, the amount of the subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty in the month.

11. Transfer on deputation to a post under the Government or any other organisation or deputation out of India—When a subscriber is transferred or sent on deputation to a post under Government or any other Organisation or sent on deputation out of India, he shall remain subject to these rules in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation.

Realisation of Subscriptions

12. Realisation of Subscription—(1) When the emoluments are drawn from the Employees' State Insurance Fund, recovery of subscriptions and the principal and interest of advances, if any, granted from the Fund shall be made direct from the emoluments.

(2) When emoluments are drawn from any other source, the subscriber shall forward his dues monthly to the Accounts Officer.

(3) If a subscriber fails to subscribe with effect from the date on which he is required to join the Fund or is in default in any month or months during the course of a year otherwise than as provided in rule 9, the total amount due to the Fund on account of arrears of subscription shall, with interest thereon at the rate provided in rule 13, be forthwith paid by the subscriber to the Fund or in default be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber by instalments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-rule (2) of rule 14 :

Provided that the subscribers whose deposits in the Fund carry no interest shall not be required to pay any interest.

13. Interest.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (5), the corporation shall pay to the credit of the account of a subscriber interest at such rate as may be determined for each year by the Central Government, in respect of the General Provident Fund for the Central Government servants.

(2) Interest shall be credited with effect from the last day in each year in the following manner, namely :

(i) On the amount at the credit of a subscriber on the last day of the preceding year, less sums, if any, withdrawn during the current year-interest for twelve months ;

(ii) on sums withdrawn during the current-year-interest from the beginning of the current year upto the last day of the month preceding the month of withdrawal ;

(iii) on all sums credited to the subscriber's account after the last day of the preceding year-interest from the date of deposit upto the end of the current year ;

(iv) the total amount of interest shall be rounded to the nearest whole rupee, (fifty paise and more counting as the next higher rupee) :

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable interest shall thereupon be credited under this rule in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, upto the date on which the amount standing to the credit of the subscriber became payable.

(3) In this rule, the date of deposit shall, in the case of recovery from emoluments, be deemed to be the first day of the month in which it is recovered and in the case of an amount forwarded by the subscriber, shall be deemed to be the first day of the month of receipt, if it is received by the Accounts Officer before the fifth day of that month, but if it is received after that date, the first day of the next succeeding month :

Provided that where there has been a delay in the drawal of pay or leave salary and allowances of a subscriber and consequently in the recovery of his subscription towards the Fund, the interest on such subscriptions shall be payable from the month in which the pay or leave salary of the subscriber was due under the rules, irrespective of the month in which it was actually drawn.

(4) In addition to any amount to be paid under rule 32, 33 or 34 interest thereon upto the end of the month preceding that in which the payment is made or upto the end of the sixth month after the month in which such amount became payable whichever of these periods be less, shall be payable to the persons to whom such amount is to be paid :

Provided that where the Accounts Officer has intimated to that person or his agent, a date on which he is prepared to made payment in cash or has posted a cheque in payment to that persons, interest shall be payable only upto the end of the month preceding the date of intimation or the date of posting the cheque as the case may be.

(5) Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he informs the Accounts Officer that he does not wish to receive interest :

Provided that if in any such case, if the subscriber later desires payment of interest, it shall be credited with effect from the first day of the year in which he asks for it.

(6) The interest on amounts which under sub-rule (3) of rule 12, sub-rule (5) of rule 15, sub-rule (2) of rule 23, sub-rule (4) of rule 25, sub-rule (1) of rule 27, sub-rule (1) or (2) of rule 28, rule 32, or rule 33 are replaced to the credit of the subscriber in the Fund, shall be calculated at such rates as may be successively prescribed under sub-rule (1) of this rule and so far as may be in the manner described in this rule.

14. **Advances from the Fund.**—(1) The Director General or any other officer authorised by him in this behalf, may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting a sum of whole rupees and not exceeding in amount three months' pay or half the amount standing to his credit in the fund, whichever is less, for one or more of the following purposes, namely :—

(a) to pay expenses in connection with the illness or a disability including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any person actually dependent on him;

(b) to meet the cost of higher education including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any person actually dependent on him; in the following cases, namely :—

(i) for the education outside India in respect of an academic, a technical, a professional or a vocational course beyond the high school stage, and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the high school stage, provided that the course of study is of not less than three years duration;

(c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the status which, by customary usage the subscriber has to incur in connection with marriages or other ceremonies of himself or of his children or of any other person actually dependent on him.

Provided that it shall not be necessary to show actual dependence when the advance is to meet the expenses of :

(i) the marriage of a daughter or son of the subscriber, or

(ii) the funeral expenses of any of the parents of the subscriber;

(d) to meet the cost of legal proceedings instituted by the subscriber for vindicating his position in regard to any allegations made against him in respect of any act done or purporting to be done by him in the discharge of his official duty, such advance being available in addition to advance, if any, admissible for the same purpose from the Corporation :

Provided that the advance under this sub-clause shall not be admissible to a subscriber who institutes legal proceedings in any court of law either in respect of any matter unconnected with his official duty or against the Corporation in respect of any condition of service or penalty imposed on him by the Corporation;

(e) to meet the cost of his defence where the subscriber has been prosecuted by the Corporation in any court of law or where the subscriber engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part.

(2) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber without the prior sanction of the Director General, in excess of the limit laid down in sub-rule (1) or until repayment of the last instalment of any previous advance.

Note :—For the purposes of this rule pay includes dearness pay, where admissible.

15. **Recovery of Advances.**—(1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the sanctioning authority may direct; but such number shall not be less than twelve unless the subscriber elects otherwise, and in any case not more than twenty-four. In special cases where advance in excess of three months' pay has been granted to the subscriber under sub-rule (2) of rule 14, the sanctioning authority may fix such number of instalments exceeding twenty-four but not exceeding thirty-six. A subscriber may, at his option, repay more than one instalement in a month. Each instalment shall be fixed in whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced if necessary to admit of such fixation.

(2) Recovery of advances shall be made in the manner specified in rule 12 for the realisation of subscription, and shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn. Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent while he is in receipt of subsistence grant or is on leave (other than leave on average pay or earned leave of less than thirty days' duration). The recovery may, on the subscriber's written request, be postponed by the sanctioning authority during the recovery of an advance of pay granted to the subscriber.

(3) If more than one advance has been made to a subscriber, each advance shall be treated as separate for the purpose of recovery.

(4) (a) After the principal of the advance has been fully repaid, interest shall be paid thereon at the rate of one-fifth per cent of the principal for each month or broken portion of a month during the period between the drawal and complete repayment of the principal :

Provided that subscribers whose deposits in the Fund carry no interest shall not be required to pay into the fund any additional instalments on account of interest on advances granted to them from the Fund.

(b) Interest shall ordinarily be recovered in one instalment in the month after complete repayment of the principal; but if the period referred to in sub-rule (1) exceeds twenty months, interest may, if the subscriber so desires, be recovered in two equal monthly instalments. The method of recovery shall be as provided in sub-rule (2). Payments shall be rounded to the nearest rupee in the manner specified in clause (iv) of sub-rule (2) of rule 13.

(5) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed, the whole or balance or amount withdrawn shall with interest at the rate provided in rule 13, be forthwith repaid by the subscriber to the Fund, or in default, be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in a lump sum or in monthly instalments not exceeding twelve as may be directed by the Accounts Officer;

Provided that subscribers whose deposits in the Fund carry no interest shall not be required to pay an interest.

(6) Recoveries made under this rule shall be credited to the subscriber's account in the Fund.

16. **Wrongful use of Advance.**—Notwithstanding anything contained in these rules, if the sanctioning authority is satisfied that money drawn as an advance from the Fund under rule 14 has been utilised for a purpose other than that for which it was sanctioned, the amount so drawn shall, with interest at the rate provided in rule 13 be forthwith repaid by the subscriber to the Fund, or in default, be ordered to be recovered by deduction in one instalment from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If the total amount to be so repaid be more than half the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments equal to one-half of his emlouments till the entire amount is repaid by him.

Note :—The term "emoluments" in this rule shall not include subsistence grant.

17. **Withdrawal from the Fund.**—(1) Subject to the conditions specified herein, withdrawals may be sanctioned by the authorities competent to sanction an advance for special reasons under sub-rule (2) of rule 14, at any time after the completion of twenty-five years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within five

years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely :—

(a) meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of any child of the subscriber in the following cases, namely :—

(i) for the education outside India in respect of an academic, a technical, a professional or a vocational course beyond the high school stage, and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialized course in India beyond the high school stage, provided that the course of study is for not less than three years' duration ;

(b) meeting the expenditure in connection with the marriage of the subscriber's sons or daughters and of any other female relation dependent on him;

(c) meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber or any person actually dependent on him;

(d) building or acquiring a suitable house for his residence including the cost of the site or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose before the date of the receipt of the application for withdrawal but not earlier than twelve months of that date, or reconstructing, or making additions or alteration to a house already owned of acquired by a subscriber;

(e) purchasing a house-site or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose before the date of receipt of the application for the withdrawal but not earlier than twelve months of that date;

(f) for constructing a house on a site purchased utilising the sum withdrawn under clause (e);

Provided that a subscriber who has availed himself of an advance under House Building Advances Rules from the Corporation for house building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any Government source, shall not be eligible for the grant of final withdrawal under clauses (d), (e) and (f) except for the express purpose of repayment of any loan taken from the aforesaid sources.

(2) The actual withdrawal from the fund shall be made only receipt of an authorisation from the Accounts Officer who shall arrange for the same as soon as the formal sanction of the sanctioning authority has been issued.

18. **Conditions for withdrawal.**—(1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in rule 17 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one-half of such amount or six months' pay, whichever is less. The sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto 3/4ths of the amount standing to his credit in the Fund having regard to (i) the object for which the withdrawal is being made ; (ii) the status of the subscriber, and (iii) the amount standing to his credit in the Fund.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under rule 17 shall satisfy the sanctioning authority within such reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn, or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid by the subscriber to the Fund, in one lump sum together with interest thereon at the rate determined under rule 13 and in default of such payment, it shall be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by the Director General.

(3) Nothing in sub-rule (2) shall be deemed to require any subscriber whose deposits in the Fund carry no interest, to pay any interest on any sum repayable by him under that sub-rule.

19. **Conversion of an advance into a withdrawal.**—A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under rule 14 for any of the purposes specified in clauses (a), (b) and (c) of sub-rule (1) of rule 17, may at his discretion by a written request addressed to the Accounts Officer, through the sanctioning authority, convert the balance outstanding against it into a final withdrawal if the conditions laid down in rules 17 and 18 are satisfied.

20. **Payment towards insurance policies.**—Subject to the conditions contained in rules 21 to 30, the amount of subscription with interest thereon standing to the credit of a subscriber in the Fund may be withdrawn to meet :—

(i) any payment towards a policy of life insurance, or

(ii) the purchase of a single payment insurance policy :

Provided that no such withdrawal shall be made :—

(a) before the details of the proposed policy have been submitted to the Accounts Officer and accepted by him as suitable, or

(b) to meet any payment or purchase made or effected more than three months before the application or presentation of the claim for withdrawal, or

(c) in excess of the amount required to meet a premium actually due for payment within three months of the date of application or presentation of the claim for withdrawal :

Provided further that no amounts may be withdrawn to meet any payment or purchase in respect of an educational endowment policy if that policy is due for payment in whole or in part before the subscriber's age of normal superannuation :

Provided also that the amounts withdrawn shall be rounded to the nearest whole rupee.

21. **Number of policies that can be financed from the fund.**—(1) The number of policies in respct of which withdrawal of subscriptions from the fund may be permitted under rule 20, shall not exceed four.

(2) The premium for a policy in respect of which withdrawal of subscriptions from the Fund may be permitted under rule 20 shall not be payable otherwise than annually.

Explanation.—In computing the maximum number of policies specified in sub-rule (1), policies which have matured or have been converted into paid up policies shall be excluded.

22. **Payment of minimum subscriptions.**—If the subscriber withdraws any amount standing to his credit in the Fund for any of the purposes specified in rule 20, he shall continue to pay to the Fund the subscription payable under rule 10.

23. **Withdrawal of amounts under rule 20.**—(1) A subscriber who desires to withdraw any amount under rule 20 shall—

(a) intimate the reason for the withdrawal to the Accounts Officer by letter ;

(b) make arrangements with the Accounts Officer for the withdrawal ;

(c) send to the Accounts Officer, within such period as the Accounts Officer may require, receipts or certified copies of receipts in order to satisfy the Accounts Officer, that the amount withdrawn was duly applied for the purpose specified in rule 20.

(2) The Accounts Officer shall order the recovery of any amount withdrawn, in respect of which he has not been satisfied in the manner required by clause (c) of sub-rule (1),

with interest thereon at the rate provided in rule 13 from the emoluments of the subscriber and place it to the credit of the subscriber in the Fund.

24. **Corporation not to make payments to insurer on behalf of subscriber.**—(1) The Corporation shall not make any payments on behalf of the subscriber to the insurer nor shall take steps to keep a policy of life insurance alive.

(2) A policy to be acceptable under these rules shall be one effected by the subscriber himself on his own life, and shall, (unless it is a policy effected by a male subscriber which is expressed on the face of it to be for the benefit of his wife, or his wife and children or any of them), be such as may legally be assigned by the subscriber to the Corporation.

Explanation—1. A policy on the joint lives of the subscriber and the subscriber's wife or husband shall be deemed to be a policy on the life of the subscriber for the purpose of this sub-rule.

Explanation—2. A policy which has been assigned to the subscriber's wife shall not be accepted unless either the policy is first reassigned to the subscriber or the subscriber and his wife both join in an appropriate assignment.

Explanation—3. The policy may not be effected for the benefit of any beneficiary other than the wife or husband of the subscriber or the wife or husband and children of the subscriber or any of them.

25. **Assignment of policies.**—(1) Within six months after the first withdrawal from the Fund in respect of the policy or within such further period as the Accounts Officer if he is satisfied by the production of the completion certificate (interim receipt) may fix, the policy shall :

(a) unless it is a policy effected by a male subscriber which is expressed on the face of it to be for the benefit of the wife of the subscriber, or of his wife and children, or any of them, be assigned to the Corporation as security for the payment of any sum which may become payable to the Fund under rule 29, and delivered to the Accounts Officer, the assignment being made by endorsement on the policy in Form 1 or Form 2 or Form 3 in the Second Schedule to these rules according as the policy is on the life of the subscriber or on the joint lives of the subscriber and the subscriber's wife or husband or the policy has previously been assigned to the subscriber's wife ;

(b) It it is a policy effected by a male subscriber which is expressed on the face of it to be for the benefit of the wife of the subscriber, or of his wife and children or any of them, the same may be delivered to the Accounts Officer.

(2) The Accounts Officer shall satisfy himself by reference to the insurer where possible, that no prior assignment of the policy exists.

(3) Once a policy has been accepted by the Accounts Officer for the purpose of being financed from the Fund, the terms of the policy shall not be altered nor shall the policy be exchanged for another policy without the prior consent of the Accounts Officer to whom details of the alteration or of the new policy shall be furnished.

(4) If the policy is not assigned and delivered within the said period of six months or such further period as the Accounts Officer may, under sub-rule (1), have fixed, any amount withdrawn from the Fund in respect of the policy shall, with interest thereon at the rate provided in rule 13, forthwith be repaid by the subscriber to the Fund, or in default be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber, by instalments or otherwise, as may be directed by the Accounts Officer.

(5) Notice of assignment of the policy shall be given by the subscriber to the insurer and the acknowledgement of the notice by the insurer shall be sent to the Accounts Officer within three months of the date of assignment.

26. **Bonus on policies.**—The subscriber shall not during the currency of the policy draw any bonus the drawal of which during such currency is optional under the terms of the policy, and the amount of any bonus which under the terms of the policy the subscriber has no option to refrain from drawing during its currency shall be paid forthwith into the Fund by the subscriber or in default recovered by deduction from his emoluments by instalments or otherwise as may be directed by the Accounts Officer.

27. **Reassignment of policies.**—(1) Save as provided by rule 30, when the subscriber—

(a) quits the service ; or

(b) has proceeded on leave preparatory to retirement and applies to the Accounts Officer for reassignment or return of the policy ; or

(c) while on leave has been permitted to retire or declared by a competent medical authority to be unfit for further service and applies to the Accounts Officer for reassignment or return of the policy ; or

(d) repays to the Fund the whole of any amount withdrawn from the Fund for any of the purposes mentioned in rule 20 with interest thereon at the rate provided in rule 13, the Accounts Officer shall :

(i) if the policy has ben assigned to the Corporation under rule 25, reassign the policy in Form I of the Third Schedule to these rules to the subscriber or to the subscriber and the joint assured, as the case may be and make it over to the subscriber together with a signed notice of the re-assignment addressed to the insurer.

(ii) if the policy has been delivered to him under clause (b) of sub-rule (1) of rule 25, make over the policy to the subscriber :

Provided that, if the subscriber returns to duty, after proceeding on leave preparatory to retirement, or after being, while on leave, permitted to retire or declared by a competent medical authority to be unfit for further service, any policy so re-assigned or made over shall, if it has not matured or been assigned or charged or encumbered in any way, be again assigned to the Corporation and delivered to the Accounts Officer or again be delivered to the Accounts Officer, as the case may be in the manner provided in rule 25, and thereupon the provisions of these rules shall, so far as may be, again apply in respect of the policy :

Provided further that, if the policy has matured or been assigned or charged or encumbered in any way, the provisions of sub-rule (4) of rule 25 shall apply as if it were a failure to assign and deliver a policy.

(2) Save as provided by rule 30, when the subscriber dies before quitting the service, the Accounts Officer shall—

(i) if the policy has been assigend to the Corporation under rule 25, reassign the policy in Form II of the Third Schedule to these rules to such person as may be legally entitled to receive it and shall make over the policy to such person together with a signed notice of the reassignment addressed to the insurer ;

(ii) If the policy has been delivered to him under clause (b) of sub-rule (1) of rule 25, make over the policy to the beneficiary, if any, or if there is no beneficiary, to such persons as may be legally entitled to receive it.

28. **Procedure on Maturity of Policies.**—(1) If a policy assigned to the Corporation under rule 25 matures before the subscriber quits the service, or if a policy on the joint lives of a subscriber and the subscriber's wife or husband, assigned under the said rule falls due for payment by reasons

of the death of the subscriber's wife or husband, the Accounts Officer shall, save as provided by rule 30, proceed as follows :—

(i) if the amount assured together with the amount of any accrued bonuses is greater than the whole of the amount withdrawn from the Fund in respect of the policy with interest thereon at the rate provided in rule 13, the Accounts Officer shall reassign the policy, in the Form specified in the Fourth Schedule to the rules to the subscriber or to the subscriber and the joint assured, as the case may be, and make it over to the subscriber who shall immediately on receipt of the policy amounts from the insurer repay to the Fund the whole of any amount withdrawn with interest, and in default, the provisions of rule 31 shall apply as they apply in relation to cases where amounts withdrawn from the Fund under rule 20, has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the withdrawal.

(ii) If the amount assured together with the amount of any accrued bonuses is less than the whole of the amount withdrawn with interest, the Accounts Officer shall realise the amount assured together with any accrued bonuses and shall place the amount so realised to the credit of the subscriber in the Fund.

(2) Save as provided by rule 30, if a policy delivered to the Accounts Officer under clause (b) of sub-rule (1) of rule 25 matures before the subscriber quits the service, the Accounts Officer shall make over the policy to the subscriber :

Provided that if the interest in the policy of the wife of the subscriber, or of his wife and children, or any of them as expressed on the face of the policy, expires when the policy matures, the subscriber, if the policy moneys are paid to him by the insurer, shall immediately on receipt thereof repay to the Fund either—

(i) the whole of any amount withdrawn from the fund in respect of the policy with interest thereon at the rate provided in rule 13, or

(ii) an amount equal to the amount assured together with any accrued bonuses—

whichever is less, and in default, the provision of rule 31 shall apply as they apply in relation to cases where amount withdrawn from the Fund under rule 20 has been utilised for a purpose other than that for which the withdrawal was sanctioned.

29. **Lapse or wrongful assignment of Policies.**—If the policy lapses, or is assigned, otherwise than to the Corporation under rule 25, charged or encumbered, the provision of sub-rule (4) of rule 25 applicable to a failure to assign and deliver a policy shall apply.

30. **Duty of Accounts Officer when he receives notice of assignment, charge or encumbrance of Policies.**—If the Accounts Officer receives notice of—

(a) an assignment (otherwise than an assignment to the Corporation under rule 25), or

(b) a charge or encumbrance on, or

(c) an order of a Court restraining dealings with the policy or any amount realised thereon,

the Accounts Officer shall not—

(i) reassign or make over the policy as provided in rule 27, or

(ii) realise the amount assured by the policy or reassign, or make over the policy, as provided in rule 28, but shall forthwith refer the matter to the Standing Committee of the Corporation.

31. **Wrongful use of Money Withdrawn.**—Notwithstanding anything contained in these rules, if the sanctioning authority is satisfied that money withdrawn from the Fund under rule 20 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the withdrawal of the money, the amount in question, shall, with interest at the rate provided in rule 13, forthwith be repaid, by the subscriber to the Fund, or in default, be ordered to be recovered by deduction the full amount from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If the total amount to be repaid be more than half the subscriber's emoluments recovery shall be made in monthly instalments equal to one half of his emoluments till the entire amount is repaid by him.

Note :—The term "emoluments" in this rule does not include subsistence grant.

Final withdrawal of accumulations in the Fund

32. **Final withdrawal of accumulations in the Fund.**—When a subscriber quits the service of the Corporation, the amount standing to his credit in the Fund shall subject to deductions, if any, become payable to him :

Provided that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated in the service shall, if required to do so by the Director General, repay any amount paid to him from the Fund in pursuance of this rule, with interest thereon at the rate provided in rule 13 in the manner described in the proviso to rule 33 and the amount so repaid shall be credited to his account in the Fund.

33. **Retirement of Subscriber.**—When a subscriber—

(a) has proceeded on leave preparatory to retirement, or

(b) while on leave, has been permitted to retire or declared by a competent medical authority to be unfit for further service,

the amount standing to his credit in the Fund shall, upon application made by him in that behalf to the Accounts Officer, become payable to the subscriber :

Provided that the subscriber, if he returns to duty, shall, if required to do so by the Director General, repay to the Fund, for credit to his account, the whole or part of any amount paid to him from the Fund in pursuance of this rule with interest thereon at the rate provided in rule 13 in cash or securities or partly in cash and partly in securities, by instalments or otherwise, by recovery from his emoluments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-rule (2) of rule 14.

34. **Procedure on death of Subscriber.**—On the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable before payment has been made—

(i) when the subscriber leaves a family—

(a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of rule 7 in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination ;

(b) if no such nomination in favour of a member or members of the family of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family become payable to the members of his family in equal shares;

Provided that no share shall be payable to—

(1) sons who have attained majority;

(2) sons of a deceased son who have attained majority;

(3) married daughters whose husbands are alive;

(4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive;

if there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4):

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) of the first proviso.

(ii) when the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of rule 7 in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

35. **Manner of Payment of Amount in the Fund.**—(1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund become payable, it shall be the duty of the Accounts Officer to make payment on receipt of a written application in this behalf as provided in sub-rule (3).

(2) If the person to whom, under these rules, any amount or policy is to be paid, assigned, reassigned or delievered, is a lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912 the payment or reassignment or delivery shall be made to such manager and not to the lunatic.

(3) Any person who desires to claim payment under this rule shall send a written application in that behalf to the Accounts Officer. Payment of amounts withdrawn shall be made in India only and the persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive payments in India.

NOTE—When the amount standing to the credit of a subscriber has become payable under rule 32, 33, or 34, the Accounts Officer shall authorise prompt payment of that portion of the amount standing to the credit of a subscriber in regard to which there is no dispute or doubt, the balance being adjusted, as soon as may be thereafter.

36. **Transfer of Account to the Contributory Provident Fund.**—If a subscriber to the Fund is subsequently admitted to the benefits of the Contributory Provident Fund of the Corporation established under the provisions of the Employees' State Insurance Corporation (Provident Fund) Regulations, 1951, the amount of his subscriptions together with interest thereon shall be transferred to the credit of his account in the Contributory Provident Fund of the Corporation.

NOTE—The provisions of this rule do not apply to a subscriber who is appointed on contract or who has retired from service and is subsequently re-employed with or without a break in service in another post carrying contributory provident fund benefits.

37. **Relaxation of the provisions of the Rules in individual cases**—When the Standing Committee is satisfied that the operation of any of these rules causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber, it may, notwithstanding anything contained in these rules after recording its reasons for so doing deal with the case of such subscriber in such manner as may appear to it to be just and equitable.

Procedure Rules

38. **Number of Account to be quoted at the time of Payment of Subscription.**—When paying a subscription in India, either by deduction from emoluments or in cash, a subscriber shall quote the number of his account in the Fund, which shall be communicated to him by the Accounts Officer. Any change in the number shall similarly be communicated to the subscriber by the Accounts Officer.

39. **Annual Statement of Account to be supplied to Subscriber.**—(1) As soon as possible after the close of each year the Accounts Officer shall send to each subscriber a statement of his account in the Fund showing the opening balance as on the 1st April of the year, the total amount credited or debited during the year, the total amount of interest credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date. The Accounts Officer shall attach to the statement of account an enquiry whether the subscriber—

(a) desires to make any alteration in any nomination made under rule 7;

(b) has acquired a family, in cases where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under the proviso to sub-rule (1) of rule 7.

(2) Subscribers should satisfy themselves as to the correctness of the annual statement, and errors should be brought to the notice of the Accounts Officer within three months from the date of receipt of the statement.

(3) The Accounts Officer shall, if required by a subscriber, once, but not more than once, in a year inform the subscriber of the total amount standing to his credit in the Fund at the end of the last month for which his account has been written up.

FIRST SCHEDULE
[Rule 7(3)]
Forms of Nomination

(When the subscriber has a family and wishes to nominate one member thereof)

I hereby nominate the person mentioned below, who is member of my family as defined in rule 2 of the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1973, to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid :—

Name and address of nominee	Relationship with subscriber	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person/persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber

Dated this.....day of.....19.....at.....

Two witnesses to signature

Signature of subscriber

1. (a) Name .....
   (b) Occupation.....
   (c) Address .....
   (d) Signature .....
2. (a) Name.....
   (b) Occupation.....
   (c) Address .....
   (d) Signature .....

II

(When the subscriber has a family and wishes to nominate more than one member thereof)

I hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family as defined in rule 2 of the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1973, to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid, and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown against their names :—

Name and Address of nominees	Relationship with subscriber	Age	*Amount or share of accumulations to be paid to each	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, Address and relationship of the person/persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber

Dated this.....day of.....19.....at.....

Two witnesses to signature

Signature of subscriber

1. (a) Name .....
   (b) Occupation.....
   (c) Address .....
   (d) Signatute .....
2. (a) Name .....
   (b) Occupation.....
   (c) Address .....
   (d) Signature .....

*NOTE:—This column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber in the Fund at any time.

III

(When the subscriber has no family and wishes to nominate one person)

I, having no family as defined in rule 2 of the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1973, hereby nominate the person mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid :—

Name and address of nominee	Relationship with subscriber	Age	*Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person/persons, if any, to whom the right of nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber

Dated this.....day of.....19.....at.....

Two witneses to signature — Signature of subscriber

1. (a) Name .....
   (b) Occupation.....
   (c) Address .....
   (d) Signature .....
2. (a) Name .....
   (b) Occupation.....
   (c) Address .....
   (d) Signature .....

*NOTE:—Where a subscriber who has no family makes a nomination, he shall specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.

IV

(When the subscriber has no family and wishes to nominate more than one person)

I, having no family as defined in rule 2 of the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1973, hereby nominate the persons mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid, and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown below against their names :—

Name and address of nominess	Relationship with subscriber	Age	*Amount or share of accumulations to be paid to each	**Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person/persons if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber

Dated this.....day of.....19.....at.....

Two witnesses to signature — Signature of subscriber

1. (a) Name.....
   (b) Occupation.....
   (c) Address.....
   (d) Signature.....
2. (a) Name.....
   (b) Occupation.....
   (c) Address.....
   (d) Signature.....

*NOTE:—This column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber in thle Fund at any time.

**NOTE:—Where a subscriber who has no family makes a nomination, he shall specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.

SECOND SCHEDULE

[Rule 25(1)(a)]

Forms of Assignment

FORM 1

I, A.B. of.....hereby assign unto the Employees' State Insurance Corporation the within policy of assurance as Security for payment of all sums which under rule 29 of the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules 1973, I may hereafter become liable to pay to the Employees' State Insurance Corporation General Provident Fund.

I hereby certify that no prior assignment of the within policy exists.

Dated this..... day of .....19.....

Station..... Signature of Subscribe

One witness to signature.

FORM 2

We, A.B. (the subscriber) of .....and C.D. (the joint assured) of.....in consideration of the Employees' State Insurance Corporation agreeing at our request to accept payments towards within policy of assurance in substitution for the subscriptions payable by me the said A.B. to the Employees' State Insurance Corporation General Provident Fund (or as the case may be, to accept the withdrawal of the sum of Rs.....from the sum to the credit of the said A.B in the Employees' State Insurance Corporation General Provident Fund for payment of the premium of the within policy of assurance) hereby jointly and severally assign unto the said Employees' State Insurance Corporation the within policy of assurance as security for payment of all sums which under rule 29 of the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1973, the said A.B. may hereafter become liable to pay to the Fund.

We hereby certify that no prior assignment of the within policy exists.

Dated this..... day.....19.....

Signature of subscriber and the Joint Assured.

Station..... One witness to signature.

FORM 3

I, C.D., wife of A.B., and the assignee of the within policy, having at the request of A.B., the assured, agreed to release may interest in the policy in favour of A.B., in order that A.B., may assign the policy to the Employees' State Insurance Corporation, which has agreed to accept payments towards the within policy of Assurance in substitution for the subscription payable by A.B., to the Employees State Insurance Corporation General Provident Fund hereby at the request and by the direction of A.B., assign and I, the said A.B. assign and confirm unto the Employees' State Insurance Corporation the within policy of Assurance as security for payment of all sums which under rule 29 of the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1973, the said A.B. may hereafter become liable to pay to the Fund.

We hereby certify that no prior assignment of the within policy exists.

Dated this.....day of.....19.....

Station..... Signature of the assignee and the subscriber.

One witness to signature.

THIRD SCHEDULE

(Rule 27)

Form of Reassignment by the Employees' State Insurance Corporation.

FORM I

All sums which have become payable by the above-named A.B. under rule 29 of the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1973, having been paid and/or all liability for payment by him of any such sums in the future having ceased the Employees' State Insurance Corporation do hereby reassign the within policy of assurance to the said A.B. and C.D.

A.B.

Dated this..... day of..... 19.....

Executed by.....Accounts Officer of the Fund for and on behalf of the Employees' State Insurance Corporation in the presence of

S.Y.
(Signature of Accounts Officer)

Y.Z.
(One witness who should add his dosignation & address).

FORM II

The above-named A.B. having died on the .....day of .....19..... the Empoyees' State Insurance Corporation do hereby reassign the within policy of assurance to C.D..... *

Dated this.....day of.....19 .....

Executed by.....Accounts Officer of the Fund for and on behalf of the Employees' State Insurance Corporation in the presence of

X.Y.
(Signature of Accounts Officer)

Y.Z.
(One witness who should add his designation and address).

*Fill in particulars of persons legally entitled to receive the policy.

FORTH SCHEDULE

(Rule 28)

Form of Reassignment by the Employees' State Insurance Corporation

The Employees' State Insurance Corporation do hereby reassign the within policy to the said A.B.

A.B. and C.D.

Dated this.....day of.....19.....

Executed by.....Accounts Officer of the Fund for and on behalf of the Employees' State Insurance Corporation in the presence of

X.Y.
(Signature of Accounts Officer)

Y.Z.

(One witness who should add his designation and address).

EXPLANATORY MEMORANDUM

The circumstances, under which it has become necessary to give retrospective effect to the rules promulgated in the above notification are briefly as follows:—

The Pension Scheme of the Corporation has been brought into force from the 4th December, 1959 and as the General Provident Fund Scheme is a corollary to the Pension Scheme, the Corporation has already implemented the General Provident Fund Scheme from that date and it is being implemented on the basis of a draft rules more or less on the lines of the rules now being brought into force.

2. The employees of the Corporation, who were governed by the Contributory Provident Fund Scheme before the bringing into force of the General Provident Fund Scheme, were given an option either to continue under the Contributory Provident Fund Scheme or to come over to the General Provident Fund-cum-Pension Scheme and have already exercised their option. The persons who entered services of the Corporation on or after the 4th December, 1959 automatically come under the General Provident Fund-cum-Pension Scheme. It is accordingly certified that the giving of retrospective effect to the Employees State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1973 will not adversely affect the interests of any employee of the Corporation.

(File No. 109 (1)/70—H I)

T. K. RAMACHANDRAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1973